



कोरोना ने पूरे विश्व को-
योग की अनिवार्यता समझा दी है

लालू से मिलने गए थे तेजप्रताप,
पुलिस ने दर्ज की एफआईआर



सेन्सर टाइम्स

www.censortimes.com

डाक पंजीयन क्रमांक-एमपी/आईडीसी/1117/2019-2021

वर्ष-17

अंक-6

मासिक

1 सितम्बर 2020

पृष्ठ-12

मूल्य- पाँच रुपये

टीआरपी की होड़

असल खबरों की अनदेखी

p4

गांधी परिवार से आगे क्यों नहीं देख
पाती कांग्रेस

p3



कांग्रेस के नये अध्यक्ष को चुनने के लिए कोई
जल्दबाजी न हो -सलमान खुरशीद

p12



अन्दर के पृष्ठ पर.....

राहुल गांधी ने-

‘मन की बात’ पर कसा तंज - P-12

बिहार बाढ़ का खतरा-

चुनौती हर साल बढ़ती है P-7

उपभोक्ता संरक्षण कानून-

अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं P-6

प्रशांत भूषण पर अवमानना-

एक रुपए का जुर्माना लगाया P-12

सम्पादक की कलम से

यदि मीडिया की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में आ जाएगी तो लोकतंत्र को कमजोर होते देर नहीं लगेगी। मीडिया के लिए जरूरी है कि वह न केवल निष्पक्ष रहे बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे। इसके लिए मीडिया को खुद आगे आना होगा। टीवी डिबेटों को निष्पक्ष बनाकर और इसका स्तर ऊपर उठाने का प्रयास कर इसकी पहल की जा सकती है। टेलीविजन अर्थात टीवी आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। मनोरंजन या देश-दुनिया की जानकारी हासिल करने के लिए हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का कुछ न कुछ हिस्सा टीवी के आगे बैठकर जरूर बिताते हैं। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज हमारे जीवन में टीवी की क्या जगह है।

सच्चाई यह है कि हम टीवी के आगे काफी समय बिताते हैं। बात करें न्यूज चैनलों की तो कई लोगों का आरोप है कि कई एंकर और न्यूज चैनल अपनी विचारधारा और पक्षपात को लोगों पर थोपने का काम कर रहे हैं। कई चैनल टीवी बहस के दौरान उनकी पसंद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पसंद के पैनलिस्ट ज्यादा रखते हैं और विरोधी पक्ष को जवाब देने के लिए या तो उचित समय नहीं देते और अगर देते भी हैं तो टोकाटाकी करके उनका समय नष्ट कर देते हैं। इस दौरान इतना शोर होता है कि दर्शकों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। बहस के दौरान भाषा की मर्यादाएं टूटती जा रही हैं और मीडिया ट्रायल के जरिये तुरन्त फैसला करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह स्थिति चिन्ता का विषय है। हालात तब और भी गंभीर दिखाई देते हैं जब टीवी पर बहस के दौरान एंकर ही गोदी मीडिया और राष्ट्रद्रोही व देशद्रोही जैसे शब्दों का इस्तेमाल अपने तर्क को वजन देने के लिए करते हैं।

जबकि किसी भी एंकर के लिए पक्षपात किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि बहस में शामिल लोगों को किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं है। टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में जहरीली सोच रखने वाले ऐसे छोटे-मोटे नेताओं को टीवी स्क्रीन पर अच्छी-खासी जगह दे दी जाती है जो गैर-जरूरी होती है और लोकतंत्र का नुकसान करती है। अकसर टीवी डिबेट में दिए जाने वाले बयानों का असर सोशल मीडिया पर बखूबी दिखाई देता है। जहां कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होती। इससे समाज को कितना नुकसान हो सकता है इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी तरह की रॉकेट साइंस में पारंगत होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीवी डिबेट के स्तर में अचानक गिरावट आई है। पिछले ढाई दशक में जैसे-जैसे टीवी चैनलों की संख्या बढ़ी है वैसे-वैसे उनमें गलाकाट प्रातियोगिता शुरू हो गई है। पिछले पांच-सात साल में हमने टीवी डिबेटों को इतना उग्र होते हुए देखा है कि कई बार लगता है कहीं हमारा समाज विभाजन की ओर तो नहीं जा रहा है। कई एंकर हाथ उठाकर या पटक-पटक कर इस अंदाज में डिबेट कराते हैं जैसे वहां कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। ऐसी डिबेटों से दर्शक थोड़ी देर के लिए तो उत्तेजित हो जाएगा लेकिन अंत में उसके हाथ क्या आएगा। ऐसी डिबेट को दर्शकों के समय और पैसे की बर्बादी क्यों नहीं कहा जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। इसके ऊपर निष्पक्ष रहकर लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। राजनीतिक दलों के प्रातिनिधियों का एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना उनकी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए जरूरी हो सकता है लेकिन इससे एंकर को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि यदि मीडिया की निष्पक्षता ही सवालों के घेरे में आ जाएगी तो लोकतंत्र को कमजोर होते देर नहीं लगेगी। मीडिया के लिए जरूरी है कि वह न केवल निष्पक्ष रहे बल्कि निष्पक्ष दिखाई भी दे। इसके लिए मीडिया को खुद आगे आना होगा। टीवी डिबेटों को निष्पक्ष बनाकर और इसका स्तर ऊपर उठाने का प्रयास कर इसकी पहल की जा सकती है।

कोरोना प्रकोप ने पूरे विश्व को योग की अनिवार्यता अच्छी तरह समझा दी है



भारतीय योग एवं ध्यान के माध्यम से भारत दुनिया में गुरु का दर्जा एवं एक अनूठी पहचान हासिल करने में सफल हो रहा है। इसीलिये समूची दुनिया के लिये अन्तराष्ट्रीय योग दिवस स्वीकार्य हुआ है। इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सूझबूझ एवं प्रयासों से अपूर्व वातावरण बना है। आज कोरोना महामारी के कारण जीवन का हर क्षेत्र समस्याओं से घिरा हुआ है। इस साल छठें अन्तराष्ट्रीय योग दिवस का फोकस कोरोना वायरस महामारी के चलते घर पर रहकर परिवार के साथ योग करने केन्द्रित है। नरेन्द्र मोदी ने योग दिवस को लेकर 'माई लाइफ माई योगा' इवेंट प्रस्तुत किया है। दरअसल, प्रधानमंत्री द्वारा पिछले महीने आयोजित हुए मन की बात कार्यक्रम में इसके बारे में बताया गया था। इस साल योग दिवस की थीम "घर पर योगा और परिवार के साथ योगा" है। क्योंकि आज हर व्यक्ति एवं परिवार अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक तनाव/दबाव महसूस कर रहा है। हर आदमी संदेह, अंतर्द्वंद्व और मानसिक उथल-पुथल की जिंदगी जी रहा है। मनुष्य के सम्मुख जीवन का संकट खड़ा है।

मानसिक संतुलन अस्त-व्यस्त हो रहा है। मानसिक संतुलन का अर्थ है विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करना, जिसका सशक्त एवं प्रभावी माध्यम योग ही है। योग एक ऐसी तकनीक है, एक विज्ञान है जो हमारे शरीर, मन, विचार एवं आत्मा को स्वस्थ करती है। यह हमारे तनाव एवं कुंठा को दूर करती है। जब हम योग करते हैं, श्वासों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, प्राणायाम और कसरत करते हैं तो यह सब हमारे शरीर और मन को भीतर से खुश और प्रफुल्लित रहने के लिये प्रेरित करती है। योग कोरोना महाव्याधि से मुक्ति का सशक्त माध्यम है।

योग मनुष्य की चेतना शुद्ध एवं बुद्ध करने की प्रक्रिया है, यह मनुष्य को ऊपर उठाने का उपक्रम है, जीवन में संतुलन स्थापित करने का साधन है एवं परमात्मा एवं परम ब्रह्म से एकाकार होने का विज्ञान है। ब्रह्म का साक्षात्कार ही जीवन का काम्य है, लक्ष्य है। यह साक्षात्कार न तो प्रवचन से ही प्राप्त हो सकता है, न बुद्धि से ही प्राप्त हो सकता है और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है, उसके लिये जरूरी है स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार और यह साक्षात्कार उसी को होता है जिसका अंतःकरण निर्मल और पवित्र है। पवित्र अंतःकरण ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा का दर्शन, प्रकृति का प्रदर्शन और ब्रह्म का संदर्शन होता है। शुद्ध अंतःकरण में बुद्धि आकाशवत् निर्मल और स्वच्छ रहती है, मन गंगा जैसा पवित्र रहता है, चित्त ऐसा स्थिर रहता है जैसे बिना वायु के अविचल दीपक की ज्योति और सम्पूर्ण चेतना भगवान में मिलने के लिए ऐसी बहती है जैसे समुद्र में मिलने के लिए नदियां। जैसे शीशे में अपना चेहरा तभी दिखलायी पड़ता है जबकि शीशा साफ और स्थिर हो, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण से ही परम ब्रह्म के दर्शन होते हैं।

जिस योग का महत्व हमारे वेदों या उससे भी पहले के साहित्य में मिलता है आज वही योग दुनियाभर में अपनी प्रसिद्धि पा रहा है एवं कोरोना महासंकट के कारण योग की उपयोगिता पहले की तुलना में अधिक बड़ गयी है। इसके फायदों को देखते हुए हर कोई अपनी भागती हुई जिंदगी एवं कोरोना के कारण पैदा हुए जीवन संकट में इसे अपनाता हुआ दिख रहा है। धीरे-धीरे ही सही लेकिन लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि योग करने से ना केवल कोरोना जैसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है बल्कि अपने जीवन में खुशहाली भी लाई जा सकती है, जीवन को संतुलित किया जा सकता है, कार्य-क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है, शांति एवं अमन को स्थापित किया जा सकता है।

शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक शांति एवं स्वस्थता के लिये योग की एकमात्र रास्ता है। लेकिन भोगवादी युग में योग

का इतिहास समय की अनंत गहराइयों में छुप गया है। वैसे कुछ लोग यह भी मानते हैं कि योग विज्ञान वेदों से भी प्राचीन है। हड़प्पा और मोहन जोदड़ों के समय की पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में अनेक ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसमें शिव और पार्वती को विभिन्न योगासन करते हुए दिखाया गया है। दुनिया में भारतीय योग को परचम फहराने वाले स्वामी विवेकानंद कहते हैं- "निर्मल हृदय ही सत्य के प्रतिबिम्ब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। इसलिए सारी साधना हृदय को निर्मल करने के लिए ही है। जब वह निर्मल हो जाता है तो सारे सत्य उसी क्षण उसमें प्रतिबिम्बित हो जाते हैं।... पावित्र्य के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है, जितना अपवित्र कार्य।" आज विश्व में जो आतंकवाद, हिंसा, युद्ध, साम्प्रदायिक विद्वेष की ज्वलंत समस्याएं खड़ी हैं, उसका कारण भी योग का अभाव ही है।

आज की कोरोना महामारी की जिंदगी मनुष्य को अशांति, असंतुलन, तनाव, थकान तथा चिडचिडाहट की ओर धकेल रही हैं, जिससे अस्त-व्यस्तता बड़ रही है। ऐसी विषमता एवं विसंगतिपूर्ण जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाये रखने के लिये योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल तथा बॉडी को फिट रखता है। योग से जीवन की गति को एक संगीतमय रफ्तार दी जा सकती है। योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है। योग-चेतना के जागरण से भावशुद्धि होती है। इसकी प्रक्रिया है आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। राग-द्वेष मुक्त चेतना द्वारा स्वयं ही वृत्तियों, प्रवृत्तियों तथा चित्तदशाओं को देखना। सम्यक् दर्शन ही 'स्व' को बदलने का सशक्त उपक्रम है। स्वयं से स्वयं के साक्षात्कार के प्रयोगों से ग्रंथि-तंत्र के स्नायु संतुलित होते हैं। इससे भाव पवित्र रहते हैं, विचार स्वस्थ बनते हैं। इन्हीं से कोरोना जैसी असाध्य महामारी, हिंसा, आतंकवाद, युद्ध एवं तनाव जैसी विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान संभव है।

प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है और उसकी तलाश में जीवन भर प्रयास भी करता है। शाश्वत सुख किस में है, इस बात का ज्ञान न होने से वह भौतिक वस्तुओं की ओर दौड़ता है और उनमें सुख ढूँढता है, परन्तु यह निर्विवाद सत्य है कि बाहरी वस्तुओं में सुख नहीं है। मनुष्य को सुख अपने अंदर ही खोजना चाहिए। इस पार्थिव शरीर में निहित आत्मा में अनंत शक्ति व अनंत ज्ञान है और असली स्वरूप प्राप्त करने पर ही शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है और इसके लिये योग को जीवनशैली बनाना होगा। जब मानव अपनी आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए अथवा उनका समाधान पाने के लिए योग का आश्रय लेता है तो वह योग से जुड़ता है, संबंध बनाता है, जीवन में उतारने का प्रयास करता है। किन्तु जब उसके बारे में कुछ जानने लगता है, जानकर क्रिया की प्रक्रिया में चरण बड़ाता है तो वह प्रयोग की सीमा में पहुँच जाता है। इसी प्रयोग की भूमिका को जीवन का अभिन्न अंग बनाकर हम मानवता को एक नयी शकल दे सकते हैं। हम भारतीयों के लिये यह गर्व का विषय है कि योग भारत की विश्व को एक महान देन है। योग भारतीयों के जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। लेकिन अब यह संपूर्ण विश्व का विषय एवं मानव मात्र के जीवन का अंग बन रहा है। यह जीव नाना प्रकार के संस्कार रूपी रंगों से रंगे हुए शरीर में रहता है, लेकिन योगाभ्यास द्वारा तपाया गया शरीर रोग, तनाव, बुढ़ापा, क्रोध, असन्तुलन आदि से रहित होकर स्वरूपानुभूति के योग्य होता है। कोरोना प्रकोप के बीच लोगों की खुशहाली, संतुलन, तनावमुक्ति, स्वास्थ्य, विश्वशांति और भले के लिये, पूरे विश्व भर के लोगों के लिये एक पूर्णतावादी दृष्टिकोण उपलब्ध कराने हेतु विश्व योग दिवस की निरन्तरता बनी रहे, यह अपेक्षित है। यह जन-जन की जीवनशैली बने-यही योग दिवस का उद्घोष हो, इसी से लोगों को नयी सोच मिले, नया जीवन-दर्शन मिले।

गांधी परिवार से आगे क्यों नहीं देख पाती कांग्रेस

सोनिया गांधी उस वक्त का इंतजार कर रही हैं जब पार्टी के सभी प्रमुख नेता एक स्तर से यह मांग करने लगें कि राहुल गांधी के फिर पार्टी अध्यक्ष बने बगैर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं।

इसीलिये लम्बे समय से ये अनिर्णय की स्थितियां बनी हुई रखी जा रही हैं, लेकिन कब तक? मुश्किल यह भी है कि ऐसा होना आसान नहीं, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी सबके सामने आ गई है।

कांग्रेस का एक खेमा जिस तरह यह साबित करने में लगा हुआ है कि पार्टी के बड़े नेता

राहुल गांधी की हां में हां मिलाने से इन्कार करके भाजपा के मन

मुताबिक काम कर रहे हैं उससे यही पता चलता है कि सोनिया

और राहुल समर्थक नेताओं के बीच अविश्वास की खाई

और गहरी हो गई है। चूंकि दोनों ओर से तलवारें खिंच गई हैं

इसलिए आने वाले दिनों में यह खाई और अधिक गहरी हो

होनी है। आखिर इस हालत में कांग्रेस रसातल की ओर नहीं

जाएगी तो किस ओर जाएगी?



सवाल यह है कि पार्टी के भीतर ऐसी नौबत क्यों आयी? देश की सबसे पुरानी एवं ताकतवर पार्टी होकर आज इतनी निस्तेज क्यों है? देश की राजनीति की दिशा एवं दशा तय करने वाली पार्टी हाशिये पर क्यों आ गयी है? क्यों उसकी यह दुर्दशा हुई?

कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक भावना से उसके नेतृत्व पर लम्बे समय से छाये अनिश्चय एवं अंधेरों को लेकर भीतर-ही-भीतर एक कुरुक्षेत्र बना हुआ है, इस कुरुक्षेत्र में हर अर्जुन के सामने अपने ही लोग हैं जिनसे वह लड़ रहा है, हर अर्जुन की यही नियति है। ऐसी ही नियतियों का उसे बार-बार सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी को जीवंत करने वाले युवा, अनुभवी, कांग्रेसी नेताओं एवं गांधी परिवार के बीच खींचतान की एक झलक तब मिली थी जब कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को एक पत्र लिखकर देश के सर्वोच्च राजनीतिक दल के नेतृत्व को सुनिश्चित करने की आवश्यकता व्यक्त की। इसी पत्र पर सोमवार को हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक पार्टी के हालिया इतिहास का सर्वाधिक गरमा-गरमी वाला घटनाक्रम बन गया। बावजूद इसके, यह सवाल बना ही रहा कि इससे पार्टी को मिला क्या?

बैठक के अंत में सोनिया गांधी 'आहत होने के बावजूद' थोड़े और समय तक अंतरिम अध्यक्ष बने रहने के लिए मान गईं। इस बैठक में स्वतंत्र सोच रखने वाले कांग्रेसी नेताओं पर नाराजगी जताई गयी, नेतृत्व परिवर्तन की मांग करने वाले 23 नेताओं की मंशा एवं नीयत पर सवाल भी उठाये गये थे, इन अलोकतांत्रिक स्थितियों को लेकर कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने आक्रोशित होकर अपने त्याग-पत्र भी प्रस्तुत किये, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर दी थी, भले ही बाद में अपनी सफाई देते हुए अपना ट्वीट हटा दिया था। लेकिन कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी के बयान के बाद काफी आक्रामक शोर एवं सुर उठे, वे पार्टी की

चिन्ताजनक स्थिति की गवाही देते हैं। पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। उससे पार्टी के भविष्य पर सहज ही अनुमान लगाया जाना गलत नहीं होगा। सवाल यह है कि पार्टी के भीतर ऐसी नौबत क्यों आयी? देश की सबसे पुरानी एवं ताकतवर पार्टी होकर आज इतनी निस्तेज क्यों है? देश की राजनीति की दिशा एवं दशा तय करने वाली पार्टी हाशिये पर क्यों आ गयी है? क्यों उसकी यह दुर्दशा हुई? कांग्रेसी नेताओं के बीच नेतृत्व के प्रश्न पर जैसी उठापटक देखने को मिल रही है वह अभूतपूर्व है, उसने पार्टी के पुनर्जीवन की संभावनाओं को एक बार फिर धुंधला दिया है।

एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हुई कार्यसमिति की बैठक बिना किसी ठोस निर्णय के सम्पन्न हो गयी। इस बैठक में भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का मान-मनव्वल का कार्यक्रम सफल नहीं हुआ और बात गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाने की ओर बढ़ी तो पार्टी में दो धड़े बंटे हुए स्पष्ट दिखे। एक बड़ा प्रश्न उभरा है कि क्या हर राज्य में कम से कम दो गुटों में बंटे इन नेताओं के बीच से पार्टी के शीर्ष पद के लिए कोई एक सर्वमान्य नाम निकालना संभव होगा? क्या नेहरू-गांधी परिवार से बाहर का व्यक्ति प्रभावी एवं सक्षम तरीके से नेतृत्व संभाल पाएगा? क्योंकि राहुल गांधी बिना अध्यक्ष बने 'सुपर पावर' और 'सुपर बॉस' बने रहना चाहते हैं। पार्टी पर वे अपना नियंत्रण चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कौन बाहर का प्रभावी एवं स्वाभिमानी नेता राहुल की अधीनता स्वीकारने को तैयार होगा? उसके लिये कैसे एवं किस तरह काम करना सहज एवं सुगम होगा?

आखिरकार सोनिया गांधी को ही पार्टी की

अंतरिम अध्यक्ष बनाकर यह बैठक पार्टी की एक साल पहले वाली स्थिति में ही खड़ी हो गयी है। यह बैठक 'नौ दिन चले अढ़ाई कोस' वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए यथास्थिति कायम रखने के पक्ष में सहमति बना पायी है। इसका यह भी अर्थ है कि राहुल गांधी बिना कोई जिम्मेदारी संभाले पार्टी को पहले की तरह पिछले दरवाजे से संचालित करते रहना चाहते हैं। शायद सोनिया गांधी भी यही चाहती हैं। सोनिया का अपना पद छोड़ने की पेशकश करना महज एक दिखावा था या पार्टी के नाराज नेताओं के बीच पार्टी की पुरानी व्यवस्था कायम रखने पर सहमति बनाना। आखिरकार ऐसा ही हुआ, लेकिन इससे तो कांग्रेस की जगहसाई ही हुई। आम जनता अब इतनी भी भोली नहीं है, वह सब समझती है, आखिर इससे हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि नेतृत्व के मसले को हल करने के लिए बैठक बुलाई जाए और उसमें इस पर कोई निर्णायक स्थिति न बने? यदि नेतृत्व के मसले को हल ही नहीं करना था तो फिर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाई ही क्यों गई? क्योंकि देश की जनता को बार-बार गुमराह किया जाता है, दिग्भ्रम की स्थिति में रखा जाता है।

यह साफ-साफ समझ आता है कि कांग्रेस का गांधी परिवार के बगैर गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन आखिर इसका क्या मतलब कि परिवार ही यह तय न कर पाए कि पार्टी की कमान किस सदस्य को सौंपी जाए? क्या इस असमंजस का कारण यह है कि पार्टी नेताओं का एक गुट राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं? जो भी हो, यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि सोनिया गांधी उस वक्त का इंतजार कर रही हैं जब पार्टी के सभी प्रमुख नेता एक स्तर से यह मांग करने लगें कि राहुल गांधी

के फिर पार्टी अध्यक्ष बने बगैर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं। इसीलिये लम्बे समय से ये अनिर्णय की स्थितियां बनी हुई रखी जा रही हैं, लेकिन कब तक? मुश्किल यह भी है कि ऐसा होना आसान नहीं, क्योंकि पार्टी की गुटबाजी सबके सामने आ गई है। कांग्रेस का एक खेमा जिस तरह यह साबित करने में लगा हुआ है कि पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी की हां में हां मिलाने से इन्कार करके भाजपा के मन मुताबिक काम कर रहे हैं उससे यही पता चलता है कि सोनिया और राहुल समर्थक नेताओं के बीच अविश्वास की खाई और गहरी हो गई है। चूंकि दोनों ओर से तलवारें खिंच गई हैं इसलिए आने वाले दिनों में यह खाई और अधिक गहरी होनी है। आखिर इस हालत में कांग्रेस रसातल की ओर नहीं जाएगी तो किस ओर जाएगी?

गांधी परिवार के बाहर नेता के नाम पर सहमति बनी तो एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पार्टी उसकी छत्रछाया में फल-फूल पाएगी? पिछली आधी सदी से कांग्रेस का जो हाल बना हुआ है उसे देखते हुए नेहरू-गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना करना बहुत कठिन है। कांग्रेस को भाजपा के सामने जिंदा रहना है तो उसे पार्टी मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त और चौबीसों घंटे, बारहों मास सक्रिय रखने वाला नेतृत्व अपनाना होगा। अन्यथा कांग्रेस पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट और गहराता जायेगा। इन जटिल होती परिस्थितियों के बीच पार्टी फिर से मूल्यों पर लौटकर अपने आपको एक नए दौर की पार्टी के तौर पर पुनर्जीवित कैसे कर पाएगी? गांधी परिवार पर निराशाजनक निर्भरता पार्टी के सामने बड़ी चुनौती है, दूसरी बड़ी चुनौती केन्द्रीय नेतृत्व की है। लेकिन किसी वजह से पार्टी अब भी आगे की दिशा में बड़ा कदम उठाने से कतरा रही है, जिससे पार्टी की टूटती सांसों को नया जीवन मिलने की संभावनाओं पर लगातार विराम लगता जा रहा है।

गांधी परिवार के प्रति निष्ठाशील एवं स्वतंत्र सोच के नेताओं के बीच लम्बे अरसे से खींचतान चल रही है। जिससे पार्टी उभरने की बजाय रसातल की ओर बढ़ती जा रही है। इसका मन्तव्य क्या यह निकाला जा सकता है कि गांधी परिवार के नेतृत्व में परिपक्वता एवं राजनीतिक जिजीविषा का अभाव है। जबकि पार्टी के पास लम्बा राजनीतिक अनुभव भी है और विरासत भी। उसे तो ऐसा होना चाहिए जो पचास वर्ष आगे की सोच रखती हो पर वह पांच दिन आगे की भी नहीं सोच पा रही हैं। केवल खुद की ही न सोचें, परिवार की ही न सोचें, जाति की ही न सोचें, पार्टी की ही न सोचें, राष्ट्र की भी सोचें। जब पार्टी राष्ट्र की सोचने लगेगी तो पार्टी की मजबूती की दिशाएं स्वयं प्रकट होने लगेंगी। लेकिन ऐसा न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस दुर्भाग्य के दंश को मिटाने के लिये पार्टी में स्वतंत्र सोच एवं कार्यशैली को प्राथमिकता देनी ही होगी। कांग्रेस को असमंजस, अन्दरूनी कलह एवं उठापटक से उबरना होगा। वास्तव में पार्टी का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक वह केन्द्रीय नेतृत्व के सवाल को ईमानदारी से हल नहीं करती। पार्टी को सोच के कितने ही हाशिये छोड़ने होंगे। कितनी लक्ष्मण रेखाएं बनानी होंगी। सुधार एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। महान् अतीत महान् भविष्य की गारण्टी नहीं होता। पार्टी के सुधार के प्रति संकल्प को सामूहिक तड़प बनाना होगा। पार्टी के चरित्र पर उसकी सौगन्धों से ज्यादा विश्वास करना होगा। कौन समझाये कि जमाना बदल चुका है अब पारिवारिक मोह, सत्ता की लालसा और उसी दौड़ में शामिल होकर जनता के दिलों को नहीं जीता जा सकता। सोच बदलनी होगी, जनता पर विश्वास कायम करना होगा, वरना पार्टी के पुनर्जीवन की संभावनाएं धुंधलाती रहेंगी।

टीआरपी की होड़ में असल खबरों की अनदेखी

सविता पाल

हम एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। मीडिया परख का एक आइना है, उसको यदि कल्पना के पंख दिये जाएं और सच को देखने की आंख दी जाये तो इसकी आसमानी ऊंचाइयां एवं पाताली गहराइयां स्वयं में एक अन्तहीन समीकरण है।

भारत में एक नई आर्थिक सभ्यता और एक नई जीवन संस्कृति करवट ले रही है, तब उसके निर्माण में प्रभावी एवं सशक्त भूमिका के लिये जिम्मेदार इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया शायद दिशाहीन है। एक सौ तीस करोड़ की आबादी का यह देश- कोरोना एवं अन्य जटिल समस्याओं से जूझ रहा है, इन समस्याओं एवं अन्य समस्याओं से लड़ते भारत की बहुत-सी तस्वीरें बन एवं बिगड़ रही हैं, तब पिछले लम्बे समय से अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को लेकर देश के न्यूज चैनलों में जो 'प्राइम टाइम युद्ध' छिड़ा हुआ है एवं प्रिंट मीडिया में बस इसी की चर्चाओं का अंबार लगा है- वह सहज ही दर्शा रहा है कि लोकतंत्र के चौथे पायदान पर कैसे धुंधलके एवं गैर जिम्मेदार होने के तगमे जड़ रहे हैं। क्या दिखाने एवं छापने के लिये केवल 'रिया' ही है? क्या इतनी बड़ी आबादी के देश में यह एक मुद्दा है? सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि खबरों के बाजार में प्रतियोगिता का स्तर किस हद तक गिर गया है।

आम आदमी में आशाओं एवं सकारात्मकता का संचार करने के अनेक मुद्दे हैं, नये औद्योगिक परिवेश, नये अर्थतंत्र, नये व्यापार, नये राजनीतिक मूल्यों, नये विचारों, नये इंसानी रिश्तों, नये सामाजिक संगठनों, नये रीति-रिवाजों और नयी जिंदगी को संगठित एवं निर्मित करने की अनेक हवायें एवं आयाम देश में निर्मित हो रहे हैं, लेकिन मीडिया में उनकी चर्चा न होकर केवल सुशांत एवं रिया पर खबरों एवं विचारों का केन्द्रित होना हमारे मीडिया के गुमराह एवं दिग्भ्रमित होने की स्थितियों को ही उजागर कर रहा है। एक पक्ष सुशांत मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को अपराधी सिद्ध करने पर तुला हुआ है तो दूसरा पक्ष उसे नायिका के रूप में पेश कर रहा है। दोनों ही पक्ष उत्तेजना को खबर मान बैठे हैं। यह कैसा विरोधाभास है कि एक बेहद संक्रमित एवं जटिल दौर में मीडिया अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने से

भाग रहा है? जब मामला न्यायालय में विचाराधीन है एवं सीबीआई जैसी सर्वोच्च एजेन्सी जांच में जुटी है, तब मीडिया क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवा रही है। न्यूज चैनलों में गजब का असन्तुलित युद्ध छिड़ा है। मीडिया ने इस बार अपनी सकारात्मक भूमिका का सही अर्थ ही खो दिया है। यद्यपि बहुत कुछ उसे उपलब्ध हुआ है। कितने ही नए रास्ते बने हैं। फिर भी किन्हीं दृष्टियों से वह भटक रहा है। यह विडम्बनापूर्ण ही है कि जब 'लोकसभा' के अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय समितियों से कहते हैं कि वे उन विषयों पर विचार न करें जो न्यायालय के विचाराधीन हैं और दूसरी तरफ न्यूज चैनल ऐसे विषय की परत-दर-परत समीक्षा कर रहे हैं? जबकि मीडिया को आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी गाथा लिखने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, जिससे राष्ट्रीय चरित्र बने, राष्ट्र सशक्त हो, न केवल भीतरी परिवेश में बल्कि दुनिया की नजरों में भारत अपनी एक स्वतंत्र हस्ती और पहचान लेकर उपस्थित हो।

मीडिया का कार्य लोगों को जागृत, सजग और जागरूक करने का होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण में निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करने की। आम जनता राजनेताओं से अधिक मीडिया पर भरोसा करती रही है, क्योंकि उसी ने आजादी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने बिना किसी राजनीतिक दबाव, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के भेदभाव को सत्य को बल दिया। हमारा मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया रहा है मगर अब किसी को अपराधी या पाक-साफ करार देने का हक उसे कैसे मिल सकता है? जबकि पूरा मामला जांच के दायरे में है और न्यायालय में अभी पेश होना है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक जांच एजेंसियां अपनी तफ्तीश पूरी करके किसी ठोस नतीजे पर न पहुंचें तब तक मामले से जुड़ा हर व्यक्ति सन्देह के घेरे में रहता है मगर न्यूज चैनलों पर एक तरफ रिया चक्रवर्ती को बेगुनाह साबित करने की

कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हें गुनहगार घोषित करने की बात हो रही है।

पूरे मामले में हम एक नागरिक के मौलिक अधिकारों की अनदेखी कर रहे हैं। मीडिया परख का एक आइना है, उसको यदि कल्पना के पंख दिये जाएं और सच को देखने की आंख दी जाये तो इसकी आसमानी ऊंचाइयां एवं पाताली गहराइयां स्वयं में एक अन्तहीन समीकरण है। हर भारतीय की गहरी चाह है कि सशक्त भारत निर्माण की दृष्टि से जिन मूल्यों एवं मानकों के लिये मीडिया की सुबह हुई थी, उन मूल्यों को मीडिया कितनी सुरक्षा एवं समृद्धि दे पाया है और उन्हें जी पाया है, एक अन्वेषण यात्रा शुरू की जाने की अपेक्षा है। महत्वपूर्ण बात है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को अधिक संभाले। व्यक्ति एवं समाज की हर ईकाई तक पहुंच कर उनकी उपलब्धियों, समस्याओं एवं जीवनशैली की समीक्षा करें, लेकिन अपने स्वार्थ या टीआरपी के चक्कर में केवल किसी रिया में न अटकें। सवाल रिया को अपराधी या निरपराध मानने का नहीं है बल्कि हकीकत की तह तक पहुंचने का है, असलियत निकाल कर बाहर लाने का है मगर न्यूज चैनलों ने इस मामले को अपनी-अपनी नाक का सवाल बना लिया है और वे पक्ष व विपक्ष में धुआंधार विवेचना किये जा रहे हैं। इससे भारत की न्याय एवं जांच व्यवस्था की ही धज्जियां उड़ रही हैं जो कहती है कि केवल कानूनी प्रावधानों से ही किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है। अतः रिया चक्रवर्ती के पक्ष या विपक्ष में अभियान चला कर हम केवल कानून का ही मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच एजेंसियों की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वे सुशांत मामले के मीडिया प्रचार के मोह से दूर रहें और अपना कार्य पूरी निष्पक्षता के साथ करें और दुनिया को सच बतायें लेकिन दीगर सवाल यह भी है कि इस देश में रोजाना सैंकड़ों आत्महत्याएं होती हैं, सैंकड़ों अपराधों

मीडिया का कार्य लोगों को जागृत, सजग और जागरूक करने का होता है, उसकी बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण में निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करने की। आम जनता राजनेताओं से अधिक मीडिया पर भरोसा करती रही है, क्योंकि उसी ने आजादी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उसने बिना किसी राजनीतिक दबाव, जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के भेदभाव को सत्य को बल दिया। हमारा मीडिया एक जिम्मेदार मीडिया रहा है मगर अब किसी को अपराधी या पाक-साफ करार देने का हक उसे कैसे मिल सकता है? जबकि पूरा मामला जांच के दायरे में है और न्यायालय में अभी पेश होना है।

के चलते देश बेहाल बना हुआ है, शोषण एवं आर्थिक अपराधों ने देश की अस्मिता एवं अस्तित्व पर प्रश्न खड़े किये हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, कोरोना का कहर इंसानी जीवन पर मंडरा रहा है, अनेक जांबाज सैनिक सीमाओं की रक्षा करते हुए स्वयं का बलिदान देते हैं, अनेक साहसी नया इतिहास बना रहे हैं, अनेक प्रतिभाओं ने भारत का मस्तक ऊंचा किया है, जबकि फिल्म अभिनेता तो लोगों का केवल मनोरंजन करता है। एक आम नागरिक की जान की कीमत का सही लेखा-जोखा मीडिया की जिम्मेदारी में कब शामिल होगा?

कोरोना महासंकट हो या सीमाओं पर उठापटक इन जटिल स्थितियों के बीच भी हमने देखा है कि कुछ चैनलों ने जिस आत्मविश्वास से इन संकटों के बीच मीडिया कवरेज किया उससे अधिक आश्चर्य की बात यह देखने को मिली कि उन्होंने देश का मनोबल गिरने नहीं दिया। उनसे यह संकेत बार-बार मिलता रहा है कि हम अन्य विकसित देशों की तुलना में कोरोना से अधिक प्रभावी एवं सक्षम तरीके से लड़ें और उसके प्रकोप को बांधे रखा है। मीडिया की सकारात्मकता एवं साहस के कारण ही ऐसा बार-बार प्रतीत हुआ कि हम दुनिया का नेतृत्व करने की पात्रता प्राप्त कर रहे हैं। हम महसूस कर रहे हैं कि निराशाओं के बीच आशाओं के दीप जलने लगे हैं, यह शुभ संकेत हैं। लेकिन कुछ चैनल ही क्यों? सभी अपनी भूमिका इसी तरह क्यों नहीं निभा रहे हैं, क्यों रिया चालीसा का जाप कर रहे हैं?

आज देश के मीडिया की समृद्धि से भी ज्यादा उसकी साख जरूरी है। विश्व के मानचित्र में भारत का मीडिया अपनी साख सुरक्षित रख पाया तो सिर्फ इसलिए कि उसके पास विरासत से प्राप्त ऊंचा चरित्र है, ठोस उद्देश्य है, सृजनशील निर्माण के नए सपने हैं और कभी न थकने वाले क्रियाशील आदर्श हैं। साख खोने पर सीख कितनी दी जाए, संस्कृति नहीं बचती- यह बात मीडिया को समझनी होगी। मीडिया के भीतर नीति और निष्ठा के साथ गहरी जागृति की जरूरत है। नीतियां सिर्फ शब्दों में हो और निष्ठा पर संदेह की परतें पड़ने लगे तो भला उपलब्धियों का आंकड़ा वजनदार कैसे होगा?

दो चैनलों के मालिक हिरासत में, रिपब्लिक भी एक्सपोज

मुंबई पुलिस ने टीवी चैनलों की टीआरपी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने साफ-साफ कहा कि रिपब्लिक टीवी पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाता था। उन्होंने कहा कि इसके बदले लोगों को पैसे दिए जाते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक रिपब्लिक टीवी टीआरपी के लिए जोड़तोड़ में लगा हुआ था। मुंबई पुलिस कमिश्नर का दावा है कि कुछ अनपढ़ों के घर भी अंग्रेजी चैनल देखा जाता था, जबकि कुछ बंद घरों में भी टीवी चलता रहता था। जिन घरों में टीआरपी मीटर लगे हुए हैं, उन्हें एक ही चैनल देखने के लिए पेमेंट की जाती थी।

पुलिस कमिश्नर ने कहा कि दो चैनलों के मालिक हिरासत में लिए गए हैं। इसके अलावा रिपब्लिक टीवी के खातों को सीज किया जा सकता है। परमबीर सिंह ने कहा कि ज्यादा विज्ञापन के लिए टीआरपी का ये खेल खेला जा रहा था। मुंबई पुलिस ने बार्क इंडिया को भेजा नोटिस-ताजा जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस द्वारा बार्क को नोटिस भेज दिया गया है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने बार्क इंडिया को अभियुक्त से रिश्तत लेने वाले एक गवाह का बयान भी भेजा है। बार्क इंडिया को भेजे गए नोटिस पर 7 अक्टूबर की तारीख डली हुई है। मुंबई पुलिस द्वारा बार्क के विजिलेंस अधिकारी नोटिस भेजी गई है। जानकारी के मुताबिक जिस गवाह का बयान भेजा गया है उसे रिपब्लिक टीवी देखने के लिए रिश्तत दी गई थी। जांच बढ़ी तो अर्नब गोस्वामी से होगी पूछताछ-रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ही उस कंपनी के एकमात्र प्रमोटर और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क (आरएमएन) के बोर्ड के चेयरमैन हैं। वहीं रिपब्लिक टीवी की पैरेंट कंपनी एआरजी आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दो निदेशक हैं- सम्यब्रत रे गोस्वामी और अर्नब रंजन गोस्वामी। तो ऐसे में अगर मुंबई पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो अर्नब गोस्वामी और सम्यब्रत ही दो ऐसे शख्स होंगे जिनसे पुलिस की टीम पूछताछ करेगी।

मुंबई पुलिस ने खोला टीआरपी रैंकेट का राज-मुंबई पुलिस का दावा है कि हंसा कंपनी के पूर्व कर्मचारी इस धंधे में लिप्त थे। इस मामले में हंसा कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी समेत दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। एक व्यक्ति के खाते से 20 लाख रुपये सीज किए गए हैं। जबकि उनके बैंक लॉकर से 8.5 लाख रुपये मिले हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक करीब 2000 घरों में ये खेल चल रहा था और हर घर को 400 से 500 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हमें संदेह है कि अगर मुंबई में ऐसा हो रहा था तो यह देश के अन्य हिस्सों में भी हो सकता है। इसमें कुछ मौजूदा कर्मचारी भी शामिल हैं और कुछ अंदरूनी लोग भी शामिल हैं। बार्क अधिकारियों से भी पूछताछ की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को भी तलब किया जाएगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आज रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को समन भेजा जाएगा और उन्हें जांच दल के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि हंसा वो एजेंसी थी जिसने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। हम इस मामले से संबंधित सभी खातों की जांच करेंगे। फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है।

फर्जी टीआरपी कांड: दोषी साबित हुए चैनल मालिक तो मिल सकती है इतनी सजा

मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी रैंकेट का भंडाफोड़ कर दिया है। मुंबई पुलिस का कहना है कि रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनल पैसे देकर टीआरपी खरीद रहे थे। अब इन चैनलों की जांच की जा रही है। इस फेक टीआरपी के खेल में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 409 और 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया कि पुलिस के खिलाफ प्रोपेगैंडा चलाया जा रहा था। साथ ही फेक टीआरपी का रैंकेट चल रहा था। पैसा देकर आरोपी चैनल फेक टीआरपी का खेल कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अब आपको बताते हैं कि आरोपियों के खिलाफ जिन धाराओं में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उसमें कितनी सजा का प्रावधान है।

आईपीसी की धारा 420 -फेक टीआरपी का खेल करने वाले आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 420 लगाई गई है। पकड़े गए दोनों लोगों को आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा करने का आरोपी बनाया गया है। अगर कोई भी किसी शख्स को धोखा दे, बेईमानी से किसी भी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति दे या ले। या किसी बहुमूल्य वस्तु या उसके एक हिस्से को धोखे से खरीदे-बेचे या उपयोग करे या किसी भी हस्ताक्षरित या मुहरबंद दस्तावेज में परिवर्तन करे, या उसे बनाए या उसे नष्ट करे या ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करे तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अनुसार दोषी माना जाता है।

सजा का प्रावधान-ऐसे में दोषी पाए जाने पर किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। या फिर दोनों भी। यह एक गैर-जमानती संज्ञेय अपराध है, जिसे किसी भी न्यायाधीश द्वारा सुना जा सकता है। यह अपराध न्यायालय की अनुमति से पीड़ित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है।

आईपीसी की धारा 409-किसी लोक सेवक या बैंक कर्मचारी, व्यापारी या अभिकर्ता के विश्वास का आपराधिक हनन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत कार्रवाई की जाती है। आईपीसी की धारा 409 के अनुसार, जो भी कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंक कर्मचारी, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटॉर्नी या अभिकर्ता के रूप में किसी प्रकार की संपत्ति से जुड़ा हो या संपत्ति पर कोई भी प्रभुत्व होते हुए उस संपत्ति के विषय में विश्वास का आपराधिक हनन करता है, उसे दोषी करार दिया जा सकता है।

सजा का प्रावधान-ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही आर्थिक दंड से दंडित किया जा सकता है। यह एक गैर-जमानती संज्ञेय अपराध है। इस धारा के मामले प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होते हैं। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है।

नकारात्मकता व विवादों की सीढ़ियां चढ़कर शोहरत की बुलंदियां छूने का चरका

संवाद जयदी

इस समय हमारे देश में तमाम लोगों को नकारात्मकता व विवादों की सीढ़ियां चढ़कर शोहरत की बुलंदियां छूने का जबरदस्त चस्का भी लग चुका है। यह 'बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा' वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं।

जिन्हें चैनलों में नकारात्मकता व विवादों की सीढ़ियां चढ़कर शोहरत की बुलंदियां छूने का स्वाद लग चुका है उनसे देश की एकता व अखंडता तथा सामाजिक व सांप्रदायिक सद्भाव को गंभीर खतरा है। ऐसे टीवी चैनल्स को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मानवाधिकारों की रक्षा के दायरे में आने वाली 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा अधिकार है जिसके तहत वह अपनी बात किसी भी संबंधित व

केवल पूरी मान्यता व सत्ता संरक्षण मिला हुआ है बल्कि ऐसे विषयों को प्राथमिकता के साथ प्रचारित-प्रसारित किया जा रहा है। पत्रकारिता अपने वास्तविक मकसद तथा उद्देश्यों से भटककर सत्ता के दरवाजे पर षाष्टांग दंडवत करती दिखाई दे रही है। मुख्य धारा के अनेक टीवी चैनल खुलकर देश में सांप्रदायिक उन्माद पैला रहे हैं। जहरीले भाषण, भावनाएं भड़काने वाली बहसें तथा इसी तरह के भड़काऊ कार्यक्रम इसी लिए पेश किए जाते हैं ताकि समाज धर्म के आधार पर विभाजित हो, जनता कोई भी फैसला भावनाओं में बह कर करे तथा सबसे महत्वपूर्ण यह कि इसी उन्माद की शिकार जनता सत्ता से रोटी, कपड़ा, मकान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य व भुखमरी जैसे विषयों पर सवाल पूछना बंद कर दे। पिछले दिनों ऐसे

यह देश और दुनिया का अकेला टीवी चैनल है जिसके पत्रकार हाथों में शस्त्र लेकर अपनी बहादुरी का परिचय देते हैं। केवल सांप्रदायिकता फैलाने वाले इस टीवी चैनल का संपादक अपनी कार्यालय की जिस फोटो को बार बार गर्व के साथ शेयर करता है उसकी पृष्ठ भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज आदम कद चित्र में नजर आते हैं। इसका अर्थ है कि वह शिवजी को अपना आदर्श पुरुष या प्रेरणा स्रोत मानता है। परन्तु यदि हकीकत में उसने शिवाजी के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा होता तो न तो वह सांप्रदायिक होता न ही अपने चैनल को समाज को धर्म के नाम पर विद्वेष फैलाने का माध्यम बनाता। आज अपने जिस चैनल के माध्यम से जिन मुसलमानों के सिविल सेवा में चयन को 'घुसपैठ' बता रहा था व उन्हें जिहादी जैसे



उचित मंच पर रख सकता है। ऐसा करने से उसकी आवाज सार्वजनिक होती है, उसका विस्तार होता है तथा उसे बल मिलता है यहां तक कि प्रायः उसका कोई निष्कर्ष भी निकलता है।

परन्तु जहां कहीं तानाशाही होती है या कोई ऐसा शासन होता है जो अपनी प्रशंसा में तो हर तरह का झूठ-सच सुनने का शौक रखता हो परन्तु उसे अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं वहां आलोचकों की 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' के सारे अधिकार धरे रह जाते हैं तथा उसी 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' रूपी महत्वपूर्ण 'मानवाधिकार' को राजद्रोह, देशद्रोह या देश विरोधी आदि कोई भी नाम देकर या तो जेल भेज दिया जाता है या उसका मुंह बंद करने के अनेक दूसरे हथकंडे भी अपनाए जाते हैं। परन्तु यदि सत्ता को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में नफरत फैलाने, धार्मिक विद्वेष फैलाने, सांप्रदायिक दंगे भड़काने, राजनैतिक लाभ उठाने जैसे विषयमन से फायदा पहुंच रहा हो तो सत्ता न केवल ऐसे तत्वों, संस्थाओं व संस्थानों की इस तरह की नकारात्मक गतिविधियों की तरफ से अपनी आंखें मूंद लेती है बल्कि उन्हें संरक्षण भी देती है। और सत्ता की शह पाकर 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' की आड़ में अनेक लोग, संस्थाएं व संस्थान नकारात्मकता व विवादों की सीढ़ियां चढ़कर शोहरत की बुलंदियां छूने लगते हैं।

हमारे देश में मुसलमानों के विरुद्ध सुनियोजित अभियान चलने का जो सिलसिला गुप्तगुप्त तरीके से चला करता था इन दिनों उसे न

ही एक पूर्वाग्रही टीवी चैनल ने 28 अगस्त की रात 8 बजे से 'नौकरशाही में मुसलमानों की घुसपैठ' नामक आपत्तिजनक शीर्षक से एक ऐसा कार्यक्रम प्रसारित करने की घोषणा की जिससे देश का बुद्धिजीवी वर्ग सन्न रह गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हालांकि 28 अगस्त को ही सुबह इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी।

परन्तु इन दो दिनों के प्रचार में ही इस चैनल व इसके स्वामी को उससे भी अधिक प्रचार मिल गया जिसकी वह उम्मीद कर रहा होगा। इस चैनल के बारे में एक बात बताता चलू कि मेरी जानकारी में इसके अनेक पत्रकार बिना किसी तनखाह के काम करते हैं। उनके पास पत्रकारिता का ज्ञान, डिग्री, डिप्लोमा है या नहीं, वे पढ़े लिखे हैं भी या नहीं यह जानने की कोई जरूरत नहीं होती बल्कि उनके पास टीवी कैमरा और वाहन होना ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता होती है। इस चैनल से जुड़े एक ऐसे पत्रकार को मैं भी जानता हूं जो अनपढ़ होने के अलावा अव्वल क्लास का ब्लैक मेलर भी है। वह अपने इसी बदनाम टीवी चैनल का माइक दिखाकर अनेक लोगों से पैसे वसूलता रहता था। कस्बे के शरीफ लोगों से लेकर सट्टे वालों तक से वसूली करता था। और आज वही 'टीवी पत्रकार' कत्ल के इलजाम में सजायाफ्ता मुजरिम के रूप में जेल की सलाखों के पीछे है। वैसे भी यह टीवी चैनल अफवाह फैलाने, झूठी खबरें प्रसारित करने तथा हिंसा भड़काने जैसे कई मामलों में कुख्यात रहा है तथा इस पर पहले भी कई मुकदमे चल रहे हैं।

शब्दों से नवाज रहा था उन्हीं मुसलमानों पर वीर शिवाजी सबसे अधिक विश्वास करते थे। शिवाजी के जासूस मुसलमान थे। उनके कई प्रमुख सेनापति मुसलमान थे।

उनके सलाहकार व गुप्त दस्तावेज देखने वाले व उनका जवाब तैयार करने वाले सभी मुसलमान थे। यहां तक कि शिवाजी मुस्लिम संत फकीरों के प्रति सच्ची व गहरी श्रद्धा रखते थे। परन्तु इस चैनल के स्वामी व संपादक ने या तो शिवाजी को पढ़ा नहीं या जान बूझकर अपने आकाओं को खुश करने व विवादों में घिरकर शोहरत की बुलंदियां हासिल करने की फिराक में उन मुसलमानों को संदिग्ध बनाने व बताने का प्रयास करता रहता है जिन्होंने न केवल अपने देश की आजादी में अपना बहुमूल्य योगदान दिया बल्कि आजादी से लेकर अब तक देश को आत्मनिर्भर व सुरक्षित बनाने में भी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। यह हमारे देश व देशवासियों का दुर्भाग्य है कि आज समाज में इस तरह के नाकारे, सांप्रदायिक व शुद्ध व्यावसायिक प्रवृत्ति के लोग मीडिया, राजनीति तथा अन्य कई क्षेत्रों में प्रवेश कर चुके हैं जिन्हें अपनी संस्था व संस्थान की नैतिक जिम्मेदारियों की कतई परवाह नहीं है। दरअसल इन्हें नकारात्मकता व विवादों की सीढ़ियां चढ़कर शोहरत की बुलंदियां छूने का चस्का लग चुका है जो देश की एकता व अखंडता तथा सामाजिक व सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहद घातक है। ऐसे टीवी चैनल्स को प्रतिबंधित तो किया ही जाना चाहिये उन्हें दंडित भी किया जाना चाहिए।

20 जुलाई से लागू हो चुके नए उपभोक्ता संरक्षण कानून के साथ ही भारत में दावा किया जा रहा है कि उपभोक्ताओं के साथ ठगी और धोखाधड़ी खत्म हो जायेगी। बेशक 1986 के पूर्व प्रचलित कानून की तुलना में नया कानून व्यापक और समावेशी धरातल पर बनाया गया है और सरकार की प्रतिबद्धता नागरिकों के उपभोक्ता अधिकारों को ईमानदारी से संरक्षण देने की प्रतीत होती है। भारत में अन्य विकसित देशों की तुलना में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता का अत्यधिक अभाव है और लोग अंतिम रूप से अपने कानूनी हकों के लिए लड़ने से परहेज करते हैं। 2024 में हमारी आबादी चीन से ज्यादा होने जा रही है और जिस तेजी से भारत में मध्यवर्ग का उदय हो रहा है उसके अनुपात में लोग उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों का उपयोग नहीं करते हैं। लोकसभा के पिछले सत्र में पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के सवाल के जवाब में सरकार ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 2017 में 1 लाख 70 हजार 68, 2018 में 1 लाख 59 हजार 849 एवं 2019 में 1 लाख 74 हजार 748 मामले देश भर में उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत दर्ज किए गए हैं। यानि तीन वर्षों में कुल 5 लाख 22 हजार 638 मामले ही दर्ज हुए। यह आंकड़ा भारत के बड़े उपभोक्ता बाजार की तुलना में बहुत ही नाकाफी है। इनमें से भी फिलहाल राष्ट्रीय आयोग में 21151, देश के सभी 35 स्टेट कंज्यूमर फोरमों में 125961 एवं जिला उपभोक्ता फोरमों में 3 लाख 45 हजार 770 प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। जाहिर है पहली स्टेज पर तो भारत में नागरिक उपभोक्ता कानून का प्रयोग करने में ही हिचकते हैं दूसरा उपभोक्ता अदालतें भी पिछले 34 सालों में लोगों को न्याय दिलाने में एक तरह से नाकाम ही रहीं हैं। आंकड़ों के आलोक में समझा जा सकता है कि नया कानून उपबन्धों के लिहाज से भले ही कठोर और समयबद्ध न्याय को प्रावधित करता हो लेकिन बुनियादी समस्या लोगों में अपने इस अधिकार को आम प्रचलन में लाने की है।

केंद्र सरकार विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर ‘जागो ग्राहक जागो’ जैसे जागरूकता अभियान चलाती है लेकिन आंकड़े बताते हैं कि लोगों तक इस अभियान की कोई खास प्रभावोत्पादकता नहीं है। असल में त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र और वाद के लिए स्थानीय परिक्षेत्र (ज्यूरिडिक्शन) के चलते भी लोग धोखाधड़ी और ठगी के मामले में शिकायत से परहेज करते हैं। दूसरा सामान्य दीवानी मामलों की तरह केस लंबित रहने से भी यह कानून दुरुह बनकर रह गया था। राज्यों में जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियों में भी सरकारों की हीलाहवाली के चलते यह निकाय कारगर साबित नहीं हुए हैं। नया कानून इस मामले में चुप है क्योंकि जिला और स्टेट फोरम की नियुक्तियां राज्य सरकारों को ही करनी है जो अक्सर राजनीतिक हित लाभ के चलते लटकी रहती है। इन जिला फोरमों में दो सदस्य सामाजिक क्षेत्रों से लिये जाते हैं। अधिकतर राज्यों में फोरम के पद रिक्त रहते हैं। रेगुलर जजों के पास दो से तीन जिलों का चार्ज रहता है। ऐसे में जिला स्तर पर ही मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। इस मामले में सबसे बुरी हालत उत्तर प्रदेश की है जहाँ स्टेट फोरम में 25692 और विभिन्न जिलों में 84852 केस लंबित हैं। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा क्रमशः 18408 एवं 40117 है। दोनों राज्यों के सम्मिलित केस देश भर के कुल मामलों के एक चौथाई से अधिक हैं। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार राजस्थान के जिलों में 32228, मप्र में 22720, बिहार में 15314 और दिल्ली में करीब 25 हजार केस लंबित हैं। देश मे 35 स्टेट फोरम बेंच एवं 675 जिला फोरम अभी कार्यरत हैं। पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा जैसे राज्यों की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। खास बात यह है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में तो शिकायत का आंकड़ा भी नगण्य

उपभोक्ता संरक्षण कानून तो सख्त बन गया पर लोग अधिकारों को लेकर जागरूक ही नहीं है



डेलोप इंडिया और स्टिल एशोसिएशन ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट कहती है कि भारत में ई-कॉमर्स बाजार अगले साल 2021 तक 84 अरब डॉलर का हो जाएगा जो 2017 में केवल 24 अरब डॉलर था। यानी ई-कॉमर्स 32 फीसदी की तेज गति से बढ़ रहा है।

है। मसलन अरुणाचल के स्टेट फोरम में केवल 09, मणिपुर में 06, मेघालय में 15 मामलों की जानकारी सामने आई है।

सवाल यह है कि ये आंकड़े क्या भारत के विस्तृत और विशाल उपभोक्ताओं के साथ संख्यात्मक रूप से न्यायसंगत हैं? तब जबकि भारत में 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन हैं और लगभग हर तीसरा उपभोक्ता कॉल ड्रॉप की सेवा त्रुटि का शिकार होता है। इस बड़े उपभोक्ता वर्ग में से आधा फीसदी भी इस सेवा न्यूनता की शिकायत नहीं करते हैं। असल में भारत आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे प्रमुख उपभोक्ता केंद्र होगा। नए

प्लेटफार्म ई-कॉमर्स के मामले में सबसे बड़ी चुनौती उपभोक्ताओं के अधिकारों के नजरिये से ही है, क्योंकि अभी भी इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ठगी और धोखाधड़ी आम आदमी के साथ हो रही है। नये कानून में सरकार ने ई-कॉमर्स कारोबार को महीन तरीके से नियमित और नियंत्रित करने की कोशिशें की हैं। कैशबैक, एक्सक्लुसिव सेल, ब्रांड लांचिंग जैसी विशेष सेवाओं को अब जारी रखना कठिन हो गया है। बड़े-बड़े ऑफर्स से ग्राहकों को लुभाने पर भी प्रतिबंध नए कानून में है। अब ई-कॉमर्स के कारोबार में सेवा या उत्पाद न्यूनता की शिकायत

ऑनलाइन कहीं से भी की जा सकेगी इसके लिए फोरमों के सेवा, उत्पादन के ज्यूरिडिक्शन को खत्म कर दिया गया है। इनके अलावा समय सीमा में निपटान को प्राथमिकता दी गई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को भी व्यापक रूप से समावेशी बनाया गया है। झूठे प्रचार, विज्ञापन के मामलों में दस से पचास लाख तक के जुर्माने और सिविल जेल के प्रावधान सराहनीय हैं।

भारत में नया कानून बहुत ही सख्त बनाया गया है इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन अंततः सवाल इसके अनुप्रयोग को समावेशी बनाने का है, क्योंकि 2008 के बाद से हमारा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता किसी दोषपूर्ण उत्पाद या सेवा में कमी के लिए 2 वर्ष के अंदर ही शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज कराने के पूर्व उपभोक्ता को संबंधित निर्माता या सेवा प्रदाता को नोटिस भेजकर उत्पाद में सुधार या बदलाव, सेवा में की गई कमी की पूर्ति के लिए भी आग्रह कर लेना चाहिए। इस नोटिस के माध्यम से आयोग में जाने से पूर्व समस्या के हल की संभावना रहती है। यदि कोई हल ना निकले तो उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग देश में 3 चरणों में कार्य करता है-जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग।

नए कानून के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अब एक करोड़ की राशि तक के विवाद निस्तारित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार एक करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक के विवाद हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा 10 करोड़ से ऊपर की राशि के विवाद पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष ही शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अंतिम अपील देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की जाती है।

नए कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि अब उपभोक्ता अपने निवासी क्षेत्र में स्थित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है चाहे विपक्षी पार्टी उस क्षेत्र में रहती हो या ना रहती हो साथ ही साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि विपक्षी पार्टी में से कोई भी एक पार्टी जिस भी जिला उपभोक्ता निवारण आयोग की सीमा के अंतर्गत निवास करता हो उस आयोग के समक्ष भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पूर्व के कानूनों में यह व्यवस्था थी कि उपभोक्ता विपक्षी पार्टी की सीमा में ही स्थित उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता था परंतु इस नए परिवर्तन से उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने में अब आसानी हो सकेगी।

उपभोक्ता अपने क्षेत्राधिकार व शिकायत के अनुसार, जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपनी शिकायत एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके दाखिल कर सकता है।

उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के पहले कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता

रखनी चाहिए। जैसे-

- ◆ अपनी शिकायत के ड्राफ्ट में यह बताना आवश्यक होगा कि आप केस क्यों दाखिल करना चाहते हैं।
- ◆ शिकायत में बताएं कि मामला इस फोरम के क्षेत्राधिकार में कैसे आता है।
- ◆ शिकायत पत्र के अंत में आपको अपने हस्ताक्षर करने जरूरी हैं और यदि आप किसी अन्य व्यक्ति में माध्यम से शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो शिकायत पत्र के साथ एक प्राधिकरण पत्र लगाना आवश्यक होगा।
- ◆ शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत का विषय, विपक्षी पक्ष या पार्टियों के नाम, उत्पाद/सेवा का विवरण, पता का उल्लेख।
- ◆ अपने आरोपों का समर्थन करने वाले सभी दस्तावेजों की प्रतियां; जैसे खरीदे गए सामानों के बिल/ सेवा हेतु भुगतान की राशि का बिल, वॉरंटी और गारंटी दस्तावेजों की फोटोकॉपी, कम्पनी या व्यापारी को की गयी लिखित शिकायत की एक प्रति और उत्पाद को सुधारने का अनुरोध करने के लिए व्यापारी को भेजे गए नोटिस की कॉपी भी लगा सकते हैं।
- ◆ अपनी शिकायत में क्षतिपूर्ति राशि का दावा इत्यादि का उल्लेख, क्षतिपूर्ति के अलावा, धनवापसी, मुकदमेबाजी में आयी लागत और ब्याज, उत्पाद की टूट-फूट और मरम्मत में आने वाली लागत का पूरा खर्चा मांग सकते हैं।
- ◆ इन सभी खर्चों को अलग-अलग मदों का विवरण डालना चाहिए।
- ◆ कुल मुआवजा शिकायत फोरम की केटेगरी के हिसाब से ही मांगना चाहिए।
- ◆ ध्यान रहे अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक ही है और यदि शिकायत दाखिल करने में देरी हो, तो देरी के कारण की व्याख्या ऐसे करें कि ट्रिब्यूनल द्वारा स्वीकार की जा सके।
- ◆ शिकायत के साथ एक हलफनामा/एफीडेविट दर्ज करने की भी आवश्यकता है, कि शिकायत में बताए गए तथ्य सही हैं।
- ◆ यदि उपरोक्त सावधानियों का ध्यान देते हुए उपभोक्ता अपनी शिकायत आयोग के समक्ष दर्ज कराता है तो उसको इसका लाभ मिलता है और अनावश्यक खर्चों से भी अपने को बचा सकता है।

बदलते परिवेश को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद तो की ही जा सकती है कि सरकार के द्वारा लाए गए इस नए उपभोक्ता कानून से निश्चित रूप से सामान्य उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

उपभोक्ताओं को ताकतवर बनाएगा नया कानून, सरकार ने दिये हैं आपको यह नये अधिकार

फोटो: कुशाल गोपाल

लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश की जनता के उपभोक्ता अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा ‘उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019’ (कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) लागू कर दिया गया। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए बने इस कानून ने अब 34 वर्ष पुराने ‘उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986’ का स्थान ले लिया है। इस कानून के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक सलाहकार निकाय के रूप में केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जो उपभोक्ता अधिकारों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों में पूछताछ और जांच करेगा। परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और इसके अध्यक्ष केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री तथा उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपभोक्ता राज्यमंत्री होंगे जबकि विभिन्न क्षेत्रों के 34 अन्य व्यक्ति इसके सदस्य होंगे।

नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई ऐसे नए नियम भी लागू हो गए हैं, जो पुराने कानून में नहीं थे। इस कानून को क्रांतिकारी बताते हुए केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान का कहना है कि पहले का उपभोक्ता कानून उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने की दृष्टि से समय खपाऊ था। नए कानून के तहत उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। पहली बार ‘उपभोक्ता मध्यस्थता सेल’ के गठन का भी प्रावधान किया गया है ताकि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुन सकें। हालांकि मध्यस्थता दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही किया जाना संभव होगा और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों को उपभोक्ता अदालत का निर्णय मानना अनिवार्य होगा तथा इस निर्णय के खिलाफ अपील भी नहीं की जा सकेगी। नए कानून में प्रयास किया गया है कि दावों का यथाशीघ्र निपटारा हो। उपभोक्ता आयोगों में स्थगन प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ राज्य और जिला आयोगों को अपने आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार भी दिया गया है।

देश में पारम्परिक विज्ञेताओं के अलावा तेजी से बढ़ते ऑनलाइन कारोबार को भी पहली बार उपभोक्ता कानून के दायरे में लाया गया है। इससे ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ता हितों की अनदेखी इन कम्पनियों पर भारी पड़ सकती है। अब ई-कॉमर्स कम्पनियां खराब सामान बेचकर उपभोक्ताओं की शिकायतों को दरकिनार नहीं कर सकेंगी। किसी भी उपभोक्ता की शिकायत मिलने पर अब ई-कॉमर्स कम्पनी को 48 घंटे के भीतर उस शिकायत को स्वीकार करना होगा और एक महीने के भीतर उसका निवारण भी करना होगा। अगर कोई ई-कॉमर्स कम्पनी ऐसा नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ई-कॉमर्स नियमों के तहत ई-रिटेलर्स के लिए मूल्य, समाप्ति तिथि, रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी-गारंटी, वितरण और शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान के तरीकों के बारे में विवरण प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। ई-कॉमर्स कम्पनियों को सामान के ‘मूल उद्गम देश’ का विवरण भी देना होगा। उपभोक्ता अधिकारों को नई ऊंचाई देने वाले नए कानून के तहत उपभोक्ता अब देश की किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेंगे। वे किसी भी स्थान और किसी भी माध्यम के जरिये शिकायत कर सकते हैं अर्थात् उपभोक्ता को अब उस स्थान पर जाकर शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, जहां से उसने सामान खरीदा है। नया कानून उपभोक्ताओं को इलैक्ट्रॉनिक रूप से शिकायतें दर्ज कराने और उपभोक्ता आयोगों में शिकायतें दर्ज करने में भी सक्षम बनाता है।

खाने-पीने की वस्तुओं में मिलावट करने वाली कम्पनियों और भ्रामक विज्ञापनों पर निर्माता तथा सेलिब्रिटी पर जुर्माने तथा सख्त सजा जैसे प्रावधान भी एक्ट में जोड़े गए हैं। कम्पनी अपने जिस उत्पाद का प्रचार कर रही है, वह वास्तव में उसी गुणवत्ता वाला है या नहीं, इसकी जवाबदेही अब सेलिब्रिटी की भी होगी क्योंकि अगर विज्ञापन में किए गए दावे झूठे पाए गए तो उस पर भी कार्रवाई होगी। शरीर को आकर्षक बनाने वाले झूठे विज्ञापन दिखाने पर एक लाख रुपये तक जुर्माना और छह माह तक की कैद हो सकती है। इसके अलावा ऐसे उत्पादों से कोई नुकसान होने या मौत हो जाने पर बड़ा जुर्माना और लंबी सजा हो सकती है। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर अब सीसीपीए को अधिकार दिया गया है कि वह जिम्मेदार व्यक्तियों को 2-5 वर्ष की सजा के साथ कम्पनी पर दस लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सके। यही नहीं, बड़े और ज्यादा गंभीर मामलों में जुर्माने की राशि 50 लाख रुपये तक भी संभव है। सीसीपीए के पास उपभोक्ता अधिकारों की जांच करने के अलावा वस्तु और सेवाओं को वापस लेने का अधिकार भी होगा।

संसद द्वारा पिछले साल ही ‘उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019’ को मंजूरी दे दी गई थी और यह नया कानून पहले इसी वर्ष जनवरी में और फिर बाद में मार्च में लागू किया जाना तय किया गया किन्तु मार्च में कोरोना प्रकोप और लॉकडाउन के कारण लागू नहीं किया जा सका। अब इसके लागू हो जाने के बाद उपभोक्ताओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नए कानून के तहत अब कैरी-बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत होगा और सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने की शिकायत पर भी कार्रवाई होगी। पुराने उपभोक्ता कानून में पीआईएल या जनहित याचिका उपभोक्ता अदालतों में दायर करने का प्रावधान नहीं था लेकिन नए कानून के तहत अब ये याचिकाएं भी उपभोक्ता अदालतों में दायर की जा सकेंगी। नए कानून के तहत कन्ज्यूमर फोरम में एक कराड़ रुपये तक के मामले जबकि राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (स्टेट कन्ज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेंसल कमीशन) में एक करोड़ से 10 करोड़ तक के और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में 10 करोड़ रुपये से ऊपर के मामलों की सुनवाई हो सकेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि नया उपभोक्ता कानून देश के उपभोक्ताओं को और ज्यादा ताकतवर बनाएगा तथा इसके तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर और प्रभावी एवं त्वरित गति से सुलझाने में मदद मिलेगी।

बाढ़ का खतरा और जल प्रबंधन की चुनौती हर साल बढ़ती चली जा रही है

फोटो: कुशाल गोपाल

बिहार और असम के बाद इस समय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल इत्यादि देश के कई हिस्से बाढ़ के कहर से जूझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करीब डेढ़ दर्जन जिलों के 650 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुम्बई में हर तरफ सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया है तो केरल भी बारिश और बाढ़ से बेहाल है। कुछ दिनों पहले भी मुम्बई के कई हिस्सों में तो तेज बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई थी। असम के लगभग सभी जिलों में बाढ़ का कहर देखा गया है, जिससे अभी तक सैंकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के कई जिलों में भी बाढ़ के कारण व्यापक नुकसान हुआ है। गुजरात के द्वारका, जूनागढ़, पोरबंदर इत्यादि कई इलाकों में भी भारी बारिश से हालात ऐसे नजर आए थे, जैसे सड़कों पर ही नदियां बह रही हों। फिलहाल लगातार हो रही तेज बारिश से देश

भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा सन् 1900 के बाद साल दर साल हुई वर्षा के आंकड़ों के आधार पर 2014 में किए गए अध्ययन में बताया गया था कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते मानसूनी बारिश की तीव्रता बढ़ती जा रही है और विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं आगे और बढ़ेंगी। आजादी के कुछ वर्षों बाद ‘राष्ट्रीय बाढ़ आयोग’ की स्थापना हुई थी, जिसके जरिये राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 150 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई हजार किलोमीटर लंबे तटबंध और बड़े पैमाने पर नालियां व नाले बनाए गए। साथ ही निचले क्षेत्रों में बसे कई गांवों को ऊंची जगहों पर बसाया गया। पिछले पचास वर्षों में बाढ़ पर सरकारों द्वारा 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जा चुकी है। इसके बावजूद यदि हालात साल-दर-साल बदतर हो रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है

हमें नदियों में गाद का भराव कम करना होगा, साथ ही निचले स्थानों को और गहरा कर उनमें बारिश तथा बाढ़ के पानी को एकत्र करने की ओर भी ध्यान देना होगा, जिससे बाढ़ के खतरे से निपटने के साथ-साथ गर्मियों में जल संकट से निपटने में भी मदद मिले। मानसून के दौरान बाढ़ की विनाशलीला देखने और बाकी साल जल संकट से जूझते रहने के बाद भी यह बात हमारी समझ से परे रह जाती है कि बाढ़ के रूप में जितनी बड़ी मात्रा में वर्षा जल व्यर्थ बह जाता है, अगर उसके आधे जल का भी संरक्षण कर लिया जाए तो अगले दो दशकों तक देश में जल संकट की कमी नहीं रहेगी और खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त जल होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दिशा में कुछ कार्य शुरू किया गया है। वहां मनरेगा के तहत हजारों तालाबों की गहराई बढ़ाने से लेकर उनके किनारों का पक्कीकरण करने का कार्य किया जा रहा है,



के कई राज्यों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कर्नाटक के कोडागु जिले के भागमंडल में भी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के कारण ही पिछले दिनों कर्नाटक के चिकमगलूर में भूस्खलन भी हुआ। आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बाढ़ से स्थितियां बदतर होने की आशंकाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

मौसम विज्ञानियों के तमाम पूर्वानुमानों और कयासों को धत्ता बताते हुए प्रकृति अब साल दर साल अपना प्रचण्ड प्रकोप दिखा रही है, जिसके चलते प्रतिवर्ष कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं और कभी सूखा तो कभी बाढ़ के नाम पर हाय-तौबा मचाना ही हमारी नियति बन चुकी है। दुनिया भर में बाढ़ के कारण होने वाली मौतों का पांचवां हिस्सा भारत में होता है और हर साल इससे देश को कम से कम एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता है। बाढ़ से जान-माल की क्षति तो होती ही है, संबंधित राज्य विकास की दौड़ में भी वर्षों पीछे चला जाता है। करीब दस वर्ष पूर्व चिंता जताई गई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर वर्षा के बादलों को मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पश्चिमी घाट मानवीय हस्तक्षेप के चलते सिकुड़ रहा है। उसके बाद मामले के सभी पहलुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र द्वारा ‘गाडगिल पैनल’ का गठन किया गया था। पैनल ने समय से अपनी रिपोर्ट भी दे दी, जो ठंडे बस्ते में पड़ी है।

कि कमी आखिर कहाँ है?

दशकों पहले उफनती नदियों के कहर से बचाने के लिए उत्तरी बिहार में कई मजबूत तटबंध बनाए गए थे, जो दशकों तक काम आते रहे लेकिन अब इनमें से कई तटबंध भी इतने कमजोर हो चुके हैं कि थोड़ी-सी बारिश में ही उनमें जगह-जगह दरारें आ जाती हैं। ऐसी ही बड़ी-बड़ी दरारों के कारण पिछले साल बिहार के कई इलाकों में बाढ़ से भारी तबाही हुई थी। वैसे भी देश के विभिन्न हिस्सों में बांधों के टूटने या उनमें आने वाली दरारों के चलते प्रतिवर्ष बाढ़ का विकराल रूप सामने आता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि हर साल बाढ़ को प्राकृतिक आपदा का नाम देकर पल्ला झाड़ने के बजाय समय रहते बांधों की मजबूती और मरम्मत के लिए समुचित कदम क्यों नहीं उठाये जाते? भारी वर्षा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन क्यों नहीं मानसून से पहले ही मुस्तैद होता?

यदि बाढ़ के कारणों पर गौर करें तो अनियोजित और अनियंत्रित विकास के चलते हमने पानी की निकासी के अधिकांश रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में बारिश कम हो या ज्यादा, पानी आखिर जाएगा कहाँ? दूसरी समस्या यह है कि प्रकृति में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप के चलते समुद्रों का तल लगातार ऊंचा उठ रहा है, जिससे समुद्रों में नदियों का पानी समाने की गति कम हो गई है। यह भी अक्सर बाढ़ का बड़ा कारण बनता है। बाढ़ से नुकसान कम हो, इसके लिए

जिससे बारिश के पानी की कुछ मात्रा तालाबों में जरूर सहेजी जा सकेगी। ऐसी पहल देश के हर राज्य में की जानी चाहिए मगर इस तथ्य को भी रेखांकित करने की जरूरत है कि तकरीबन सभी राज्यों में तालाब जिस तेजी से विलुप्त होते गए हैं, उसके पीछे केवल प्राइवेट बिल्डरों और अन्य माफिया की गैरकानूनी अतिक्रमणकारी गतिविधियों की ही भूमिका नहीं है बल्कि सरकारी योजनाओं के तहत पूर्ण कानूनी स्वरूप में चलाए गए कई प्रोजेक्ट भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार की प्राथमिकताओं और विकास के मॉडल का सवाल यहीं पहुंचकर प्रासंगिक हो जाता है।

बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या कारण है कि पश्चिमी घाट के सिकुड़ने के कारणों, उसके परिणामों और उसे बचाने के उपायों की पूरी जानकारी होते हुए भी जमीन पर कुछ नहीं हो पाता? गाडगिल पैनल की रिपोर्ट पड़ी-पड़ी धूल खाती रह जाती है? इन सवालों से तो टकराना ही होगा, यह भी समझना होगा कि बाढ़ और सूखा अलग-अलग आपदाएं नहीं हैं। ये एक-दूसरे से जुड़ी हैं। जल प्रबंधन की कारगर योजनाएं, तटबंधों की समय से मरम्मत जैसे कदम इनके लिए जरूरी तो हैं पर काफी नहीं हैं। इन सबके साथ ही जंगल, पहाड़, नदी, झील सहित पूरी पारिस्थितिकी के प्रति केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सरकारी नीतियों के स्तर पर भी थोड़ी संवेदनशीलता की जरूरत है।

(कहानी)

सांसारिक प्रेम और देश प्रेम



शहर लन्दन के एक पुराने टूटे-फूटे होटल में जहाँ शाम ही से अँधेरा हो जाता है, जिस हिस्से में फ़ैशनेबुल लोग आना ही गुनाह समझते हैं और जहाँ जुआ, शराब-खोरी और बदचलनी के बड़े भयानक दृश्य हरदम आँख के सामने रहते हैं उस होटल में, उस बदचलनी के अखाड़े में इटली का नामवर देश-प्रेमी मैज़िनी ख़ामोश बैठा हुआ है। उसका सुन्दर चेहरा पीला है, आँखों से चिन्ता बरस रही है, होंठ सूखे हुए हैं, और शायद महीनों से हजामत नहीं बनी। कपड़े मैले-कुचैले हैं। कोई व्यक्ति जो मैज़िनी को पहले से न जानता हो, उसे देखकर यह ख़याल करने से नहीं रुक सकता कि हो न हो यह भी उन्ही अभागों में है जो अपनी वासनाओं के गुलाम होकर ज़लील से ज़लील काम करते हैं।

मैज़िनी अपने विचारों में डूबा हुआ है। आह बदनसीब क़ौम! मज़लूम इटली! क्या तेरी किस्मतें कभी न सुधरेंगी, क्या तेरे सैकड़ों सपूतों का खून ज़रा भी रंग न लाएगा! क्या तेरे देश से निकाले हुए हज़ारों ज़ॉनिसारों की आहों में ज़रा भी तासीर नहीं! क्या तू अन्याय और अत्याचार और गुलामी के फन्दे में हमेशा गिरफ़्तार रहेगी। शायद तुझमें अभी सुधरने, स्वतन्त्र होने की योग्यता नहीं आयी। शायद मेरी किस्मत में कुछ दिनों और ज़ि़ल्लत और बर्बादी झेलनी लिखी है। आज़ादी, हाय आज़ादी, तेरे लिए मैंने कैसे-कैसे दोस्त, जान से प्यारे दोस्त कुर्बान किये। कैसे-कैसे नौजवान, होनहार नौजवान, जिनकी माँएँ और बीवियाँ आज उनकी क़ब्र पर आँसू बहा रही हैं और अपने कष्टों और आपदाओं से तंग आकर उनके वियोग के कष्ट में अभागों, आफ़त के मारे मैज़िनी को शाप दे रही हैं। कैसे-कैसे शेर जो दुश्मनों के सामने पीठ फेरना न जानते थे, क्या यह सब कुर्बानियाँ, यह सब भेंटें काफ़ी नहीं हैं? आज़ादी, तू ऐसी कीमती चीज़ है! हो तो फिर मैं क्यों ज़िन्दा रहूँ? क्या यह देखने के लिए कि मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा देश, धोखेबाज़, अत्याचारी दुश्मनों के पैरों तले रौंदा जाए, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे हमवतन, अत्याचार

का शिकार बनें। नहीं मैं यह देखने के लिए ज़िन्दा नहीं रह सकता!

मैज़िनी इन्हीं ख़यालों में डूबा हुआ था कि उसका दोस्त रफ़ेती जो उसके साथ निर्वासित किया गया था, इस कोठरी में दाख़ल हुआ। उसके हाथ में एक बिस्कुट का टुकड़ा था। रफ़ेती उम्र में अपने दोस्त से दो-चार बरस छोटा था। भँगिमा से सज्जनता झलक रही थी। उसने मैज़िनी का कन्धा पकड़कर हिलाया और कहा-जोज़फ़, यह लो, कुछ खा लो।

मैज़िनी ने चौंककर सर उठाया और बिस्कुट देखकर बोला-यह कहाँ से लाये? तुम्हारे पास पैसे कहाँ थे?

रफ़ेती-पहले खा लो फिर यह बातें पूछना, तुमने कल शाम से कुछ नहीं खाया है।

मैज़िनी-पहले यह बता दो, कहाँ से लाये। जेब में तम्बाकू का डिब्बा भी नज़र आता है। इतनी दौलत कहाँ हाथ लगी?

रफ़ेती-पूछकर क्या करोगे? वही अपना नया कोट जो माँ ने भेजा था, गिरो रख आया हूँ।

मैज़िनी ने एक ठण्डी साँस ली, आँखों से आँसू टप-टप ज़मीन पर गिर पड़े। रोते हुए बोला-यह तुमने क्या हरकत की, क्रिसमस के दिन आते हैं, उस वक़्त क्या पहनोगे? क्या इटली के एक लखपती व्यापारी का इकलौता बेटा क्रिसमस के दिन भी ऐसे ही फटे-पुराने कोट में बसर करेगा? ऐं?

रफ़ेती-क्यों, क्या उस वक़्त तक कुछ आमदनी न होगी, हम तुम दोनों नये जोड़े बनवाएँगे और अपने प्यारे देश की आने-वाली आज़ादी के नाम पर खुशियाँ मनाएँगे।

मैज़िनी-आमदनी की तो कोई सूरत नज़र नहीं आती। जो लेख मासिक पत्रिकाओं के लिए लिखे गये थे, वह वापस ही आ गये। घर से जो कुछ मिलता है, वह कब का ख़त्म हो

चुका। अब और कौन-सा ज़रिया है।

रफ़ेती-अभी क्रिसमस को हफ़्ता भर पड़ा है। अभी से उसकी क्या फ़िक्र करें। और अगर मान लो यही कोट पहना तो क्या? तुमने नहीं मेरी बीमारी में डाक्टर की फीस के लिए मैंगडलीन की अँगूठी बेच डाली थी? मैं जल्दी ही यह बात उसे लिखने वाला हूँ, देखना तुम्हें कैसा बनाती है !

क्रिसमस का दिन है, लन्दन में चारों तरफ़ खुशियों की गर्म बाज़ारी है। छोटे-बड़े, अमीर-ग़रीब सब अपने-अपने घर खुशियाँ मना रहे हैं और अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर गिरजाघरों में जा रहे हैं। कोई उदास सूरत नज़र नहीं आती है। ऐसे वक़्त में मैज़िनी और रफ़ेती दोनों उसी छोटी सी अँधेरी कोठरी में सर झुकाये खामोश बैठे हैं। मैज़िनी ठण्डी आहें भर रहा है और रफ़ेती रह-रहकर दरवाज़े पर आता है और बदमस्त शराबियों को और दिनों से ज़्यादा बहकते और दीवानेपन की हरकतें करते देखकर अपनी ग़रीबी और मुहताजी की फ़िक्र दूर करना चाहता है। अफ़सोस! इटली का सरताज जिसकी एक ललकार पर हज़ारों आदमी अपना खून बहाने के लिए तैयार हो जाते थे, आज ऐसा मुहताज हो रहा है कि उसे खाने का ठिकाना नहीं। यहाँ तक कि आज सुबह से उसने एक सिगार भी नहीं पिया। तम्बाकू ही दुनिया की वह नेमत थी जिससे वह हाथ नहीं खींच सकता था और वह भी आज उसे नसीब न हुआ। मगर इस वक़्त उसे अपनी फ़िक्र नहीं रफ़ेती, नौजवान, खुशहाल और खूबसूरत होनहार रफ़ेती की फ़िक्र जी पर भारी हो रही है। वह पूछता है कि मुझे क्या हक़ है कि मैं एक ऐसे आदमी को अपने साथ ग़रीबी की तकलीफ़े झेलने पर मजबूर करूँ जिसके स्वागत के लिए दुनिया की सब नेमतें बाँहें खोले खड़ी हैं।

इतने में एक चिट्ठीरसा ने पूछा-जोज़ेफ़ मैज़िनी यहाँ कहाँ रहता है? अपनी चिट्ठी ले जा।

रफ़ेती ने खत ले लिया और खुशी के जोश

से उछल कर बोला-जोज़ेफ़, यह लो मैंगडलीन का खत है।

मैज़िनी ने चौंककर खत ले लिया और बड़ी बेसब्री से खोला। लिफ़ाफा खोलते ही थोड़े से बालों का एक गुच्छा गिर पड़ा, जो मैंगडलीन ने क्रिसमस के उपहार के रूप में भेजा था, मैज़िनी ने उस गुच्छे को चूमा और उसे उठाकर अपने सीने की जेब में खोस लिया। खत में लिखा था-

माइ डियर जोज़फ़,

यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो। भगवान करे तुम्हें एक सौ क्रिसमस देखने नसीब हों। इस यादगार को हमेशा अपने पास रखना और ग़रीब मैंगडलीन को भूलना मत। मैं और क्या लिखूँ। कलेजा मुँह को आया जाता है। हाय, जोज़ेफ़ मेरे प्यारे, मेरे स्वामी, मेरे मालिक जोज़ेफ़, तू मुझे कब तक तड़पाएगा! अब ज़ब्त नहीं होता। आँखों में आँसू उमड़े आते हैं। मैं तेरे साथ मुसीबतें झेलूँगी, भूखों मरूँगी, यह सब मुझे गवारा है, मगर तुझसे जुदा रहना गवारा नहीं। तुझे क़सम है, तुझे अपने ईमान की क़सम है, तुझे अपने वतन की क़सम, तुझे मेरी क़सम है, यहाँ आजा, यह आँखें तरस रही हैं, कब तुझे देखूँगी। क्रिसमस क़रीब है, मुझे क्या, जब तक ज़िन्दा हूँ, तेरी हूँ।

तुम्हारी

मैंगडलीन

मैंगडलीन का घर स्विटज़रलैण्ड में था। वह एक समृद्ध व्यापारी की बेटी थी और अनिन्द्य सुन्दरी। आन्तरिक सौन्दर्य में भी उसका जोड़ मिलना मुश्किल था। कितने ही अमीर और रईस लोग उसका पागलपन सर में रखते थे, मगर वह किसी को कुछ खयाल में न लाती थी। मैज़िनी जब इटली से भागा तो स्विटज़रलैण्ड में आकर शरण ली। मैंगडलीन उस वक़्त भोली-भाली, जवानी की गोद में खेल रही थी। मैज़िनी की हिम्मत और

वह रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा। फिर वहाँ से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक माँ की क़ब्र पर फूल चढ़ाये। इसके बाद स्विटज़रलैण्ड की तरफ़ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अख़बार निकालता रहा। मगर निरन्तर चिन्ता और कष्टों ने उसे बिलकुल कमजोर कर दिया था। सन् 1870 में वह सेहत के ख़याल से इंगलिस्तान आ रहा था कि आल्पस पर्वत की तलहटी में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अन्त कर दिया और वह एक अरमानों से भरा हुआ दिल लिये स्वर्ग को सिधारा। इटली का नाम मरते दम उसकी ज़बान पर था। यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाज़ा बड़ी धूम से निकला। हज़ारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के एक साफ़ चश्मे के किनारे पर क़ौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया।

कुर्बानियों की तारीफें पहले ही सुन चुकी थी। कभी-कभी अपनी माँ के साथ उसके यहाँ आने लगी और आपस का मिलना-जुलना जैसे-जैसे बढ़ा और मैजि़नी के भीतरी सौन्दर्य का ज्यों-ज्यों उसके दिल पर गहरा असर होता गया, उसकी मुहब्बत उसके दिल मे पक्की होती गयी। यहाँ तक कि उसने एक दिन खुद लाज शर्म को किनारे रखकर मैजि़नी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा-मुझे अपनी सेवा मे स्वीकार कर लीजिए।

मैजि़नी

मैजि़नी पर भी उस वक़्त जवानी छाई हुई थी, देश की चिन्ताओं ने अभी दिल को ठण्डा नहीं किया था। जवानी की पुरजोश उम्मीदें दिल में लहरें मार रही थीं, मगर उसने संकल्प कर लिया था कि मैं देश और जाति पर अपने को न्योछावर कर दूँगा। और इस संकल्प पर कायम रहा। एक ऐसी सुन्दर युवती के नाजुक-नाजुक होंठों से ऐसी दरखास्त सुनकर रद्द कर देना मैजि़नी ही जैसे संकल्प के पक्के हियाव के पूरे आदमी का काम था।

मैजि़नी

मैग्डलीन भीगी-भीगी आँखें लिये उठी मगर निराश न हुई थी। इस असफलता ने उसके दिल में प्रेम की आग और भी तेज़ कर दी और गोया आज मैजि़नी को स्विट्ज़रलैन्ड छोड़े कई साल गुज़रे मगर वफ़ादार मैग्डलीन अभी तक मैजि़नी को नहीं भूली। दिनों के साथ उसकी मुहब्बत और भी गाढ़ी और सच्ची होती जाती है।

मैजि़नी

मैजि़नी ख़त पढ़ चुका तो एक लम्बी आह भरकर रफेती से बोला-देखा मैग्डलीन क्या कहती है?

मैजि़नी

रफेती-उस ग़रीब की जान लेकर दम लोगे!

मैजि़नी

मैजि़नी फिर ख़याल में डूबा-मैग्डलीन, तू नौजवान है, सुन्दर है, भगवान ने तुझे अकूत दौलत दी है, तू क्यों एक ग़रीब, दुखियारे, कंगाल, फ़क़ड़, परदेश में मारे-मारे फिरने वाले आदमी के पीछे अपनी ज़िन्दगी मिट्टी में मिला रही है! मुझ जैसा मायूस, आफ़त का मारा हुआ आदमी तुझे क्योंकर खुश रख सकेगा? नहीं, नहीं मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूँ। दुनिया में बहुत से ऐसे हैंसमुख खुशहाल नौजवान हैं जो तुझे खुश रख सकते हैं जो तेरी पूजा कर सकते हैं। क्यों तू उनमें से किसी को अपनी गुलामी में नहीं ले लेती! मैं तेरे प्रेम, सच्चे, नेक और नि:स्वार्थ प्रेम का आदर करता हूँ। मगर मेरे लिए, जिसका दिल देश और जाति पर समर्पित हो चुका है, तू एक प्यारी और हमदर्द बहन के सिवा और कुछ नहीं हो सकती। मुझमें ऐसी क्या ख़ूबी है, ऐसे कौन से गुण हैं कि तुझ जैसी देवी मेरे लिए ऐसी मुसीबतें झेल रही है। आह मैजि़नी , कम्बख़्त मैजि़नी, तू कहीं का न हुआ। जिनके लिए तूने अपने को न्योछावर कर दिया , वह तेरी सूरत से नफ़रत करते हैं। जो तेरे हमदर्द हैं, वह समझते हैं तू सपने देख रहा है।

मैजि़नी

इस ख़यालों से बेबस होकर मैजि़नी ने क़लम-दावात निकाली और मैग्डलीन को ख़त लिखना शुरू किया?

मैजि़नी

प्यारी मैग्डलीन,

मैजि़नी

तुम्हारा ख़त उस अनमोल तोहफ़ा के साथ आया। मैं तुम्हारा हृदय से कृतज्ञ हूँ कि तुमने मुझ जैसे बेकस और बेबस आदमी को इस भेंट के क़ाबिल समझा। मैं उसकी हमेशा क़द्र करूँगा। यह मेरे पास हमेशा एक सच्चे निस्स्वार्थ और अमर प्रेम की स्मृति के रूप में रहेगी और जिस वक़्त यह मिट्टी का शरीर क़ब्र की गोद में जाएगा मेरी आख़ि़री वसीयत यह होगी कि यह यादगार मेरे जनाज़े के साथ दफ़न कर दी जाय। मैं शायद खुद उस ताक़त का अन्दाजा नहीं लगा सकता जो मुझे इस ख़याल से मिलती है , कि दुनिया में जहाँ चारों तरफ़ मेरे बारे में बदगुमानियाँ फैल रही

हैं, कम से कम एक ऐसी नेक औरत है जो मेरी नियत की सफ़ाई और मेरी बुराइयों से पाक कोशिशों पर सच्ची निष्ठा रखती है और शायद तुम्हारी हमदर्दी का यक़ीन है कि मैजि़न्दगी की ऐसी कठिन परीक्षाओं में सफल होता जाता हूँ।

मैजि़नी

मगर प्यारी बहन, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तुम मेरी तकलीफों के ख़याल से अपना दिल मत दुखाना। मैं बहुत आराम से हूँ। तुम्हारे प्रेम जैसी अक्षयनिधि पाकर भी अगर मैं कुछ थोड़े से शारिक कष्टों का रोना रोऊँ तो मुझ जैसा अभागा आदमी दुनिया में कौन होगा।

मैजि़नी

मैंने सुना है, तुम्हारी सेहत रोज़-ब-रोज़ गिरती जाती है। मेरा जी बेअख्तियार चाहता है कि तुझे देखूँ। काश मैं आज़ाद होता, काश मेरा दिल इस क़ाबिल होता कि तुझे भेंट चढ़ा सकता। मगर एक पज़मुर्दा, उदास दिल तेरे क़ाबिल नहीं। मैग्डलीन, खुदा के वास्ते अपनी सेहत का ख़याल रक्खो, मुझे शायद इससे ज़्यादा और किसी बात की तकलीफ़ न होगी कि प्यारी मैग्डलीन तकलीफ़ में है और मेरे लिए! तेरा पाकीज़ा चेहरा इस वक़्त निगाहों के सामने है। मेगा! देखो मुझसे नाराज़ न हो। खुदा की क़सम, मैं तुम्हारे क़ाबिल नहीं हूँ। आज किसमस का दिन है तुम्हें क्या तेहफ़ा भेजूँ। खुदा तुम पर हमेशा अपनी बेइन्तहा बरकतों का साया रक्खें। अपनी माँ को मेरी तरफ़ से सलाम कहना। तुम लोगों को देखने की इच्छा है। देखें कब तक पूरी होती है।

मैजि़नी

तेरा जोज़ेफ़।

मैजि़नी

इस वाक़ये के बाद बहुत दिन गुज़र गये। जोज़ेफ़ मैजि़नी फिर इटली पहुँचा और रोम में पहली बार जनता के राज्य का एलान किया गया। तीन आदमी राज्य की व्यवस्था के लिए निर्वाचन किये गये। मैजि़नी भी उनमें एक था। मगर थोड़े ही दिनों में फ़्रांस की ज़्यादातियों और पीडमाण्ट के बादशाह की दगा़बाज़ियों की बदौलत इस जनता के राज का ख़ात्मा हो गया और उसके कर्मचारी और मन्त्री अपनी जानें लेकर भाग निकले। मैजि़नी अपने विश्वसनीय मित्रों की दगा़बाजी और मौक़ा-परस्ती पर पेचोताब खाता हुआ ख़स्ताहाल और परेशान रोम की गलियों कि खा़क छानता फिरता था। उसका यह सपना कि रोम को मैं ज़रूर एक दिन जनता के राज का केन्द्र बनाकर छोड़ूँगा, पूरा होकर फिर तितर-बितर हो गया।

मैजि़नी

दोपहर का वक़्त था, धूप से परेशान होकर वह एक पेड़ की छाया में ज़रा दम लेने के लिए ठहर गया कि सामने से एक लेडी आती हुई दिखाई दी। उसका चेहरा पीला था, कपड़े बिलकुल सफेद और सादा, उम्र तीस साल से ज़्यादा। मैजि़नी आत्म-विस्मृति की दशा में था कि यह स्त्री प्रेम से व्य़्रप्त होकर उसके गले लिपट गयी। मैजि़नी ने चौक़कर, देखा, बोला-प्यारी मैग्डलीन, तुम हो! यह कहते-कहते उसकी आँखें भीग गयीं। मैग्डलीन ने रोकर कहा-जोज़ेफ़!और मुँह से कुछ न निकला।

मैजि़नी

दोनों ख़ामोश कई मिनट तक रोते रहे। आख़ि़र मैजि़नी बोला-तुम यहाँ कब आयी, मेगा?

मैजि़नी

मैग्डलीन -मैं यहाँ कई महीने से हूँ, मगर तुमसे मिलने की कोई सूरत नहीं निकलती थी। तुम्हें काम-काज में डूबा हुआ देखकर और यह समझकर कि अब तुम्हें मुझ जैसी औरत की हमदर्दी की ज़रूरत बाक़ी नहीं

सेन्सर टाइम्स

मैजि़नी

रही, तुमसे मिलने की कोई ज़रूरत न देखती थी। (रुककर) क्यों जोज़फ़, यह क्या कारण है कि अक्सर लोग तुम्हारी बुराई किया करते हैं? क्या वह अन्धे हैं, क्या भगवान ने उन्हें आँखें नहीं दीं?

मैजि़नी

जोज़ेफ़-मेगा, शायद वह लोग सच कहते होंगे। फ़िलहाल मुझमें वह गुण नहीं है जो मैं शान के मारे अक़्सर कहा करता हूँ कि मुझमें हैं या जिन्हें तुम अपनी सरलता और पवित्रता के कारण मुझमें मौजूद समझती हो। मेरी कमज़ोरियाँ रोज़-ब-रोज़ मुझे मालूम होती जाती हैं।

मैजि़नी

मैग्डलीन -तभी तो तुम इस काबिल हो कि तैं तुम्हारी पूजा करूँ। मुबारक है वह इन्सान जो खुदी को मिटाकर अपने को हेच समझने लगे। जोज़ेफ़ भगवान के लिए मुझे इस तरह अपने से मत अलग करो। मैं तुम्हारी हो गयी हूँ और मुझे विश्वास है कि तुम वैसे ही पाक साफ़ हो जैसा हमारा ईसू था। यह ख़याल मेरे मन पर अंकित हो गया है और अगर उसमें ज़रा कमज़ोरी आ गयी थी तो तुम्हारी इस वक्त की बातचीत ने उसे और भी पक्का कर दिया। बेशक तुम फ़रिश्ते हो। मगर मुझे अफ़सोस है कि दुनिया में क्यों लोग इतने तंग-दिल और अन्धे होते हैं और ख़ासतौर पर वह लोग जिन्हें मैं तंग ख़यालो से ऊपर समझती थी। रेफेती, रसारीनो, पलाइनो, बर्नाबास यह सब के सब तुम्हारे दोस्त हैं।

मैजि़नी

तुम उन्हें अपना दोस्त समझते हो, मगर वह सब तुम्हारे दुश्मन हैं और उन्होंने मुझसे मेरे सामने सैकड़ों ऐसी बातें तुम्हारे बारे में कही हैं जिनका मैं मरकर भी यकीन नहीं कर सकती। वह सब ग़लत झूठ बकते हैं, हमारा प्यारा जोज़ेफ़ वैसा ही है जैसा मैं समझती थी बल्कि उससे भी अच्छा। क्या यह भी तुम्हारी एक जाती ख़ूबी नहीं है कि तुम अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझते हो?

मैजि़नी

जोज़फ़ से अब सब्र न हो सका। मैग्डलीन के मुझाये हुए पीले-पीले हाथो को चूमकर कहा-प्यारी मेगा, मेरे दोस्त बेक़सूर हैं और मैं खुद दोषी हूँ। (रोकर) जो कुछ उन्होंने कहा वह सब मेरे ही इशारे और मर्ज़ी के अनुसार था, मैंने तुमसे दगा की मगर मेरी प्यारी बहन, यह सिर्फ़ इसलिए था कि तुम मेरी तरफ़ से बेपरवाह हो जाओ और अपनी जवानी के बा़की दिन खुशी से बसर करो। मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ। मैंने तुम्हें ज़रा भी न समझा था। मैं तुम्हारे प्रेम की गहराई से अपरिचित था क्योंकि मैं जो चाहता था उसका उल्टा असर हुआ। मगर मेगा, मैं माँफी चाहता हूँ।

मैजि़नी

मैग्डलीन -हाय, जोज़ेफ़, तुम मुझसे माफ़ी माँगते हो, ऐं, तुम जो दुनिया के सब इन्सानों से ज़्यादा नेक, ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा लायक़ हो! मगर हाँ, बेशक तुमने मुझे बिलकुल न समझा था जोज़ेफ़! यह तुम्हारी ग़लती थी। मुझे ताज़ुब तो यह है कि तुम्हारा ऐसा पत्थर का दिल कैसे हो गया।

जोज़फ़-मेगा, ईश्वर जानता है जब मैंने रफेती

को यह सब सिखा-पढ़ाकर तुम्हारे पास भेजा है, उस वक़्त मेरे दिल की क्या कैफ़ियत थी। मैं जो दुनिया में नेकनामी को सबसे ज़्यादा कीमती समझता हूँ और मैं जिसने दुश्मनों के ज़ा़ती हमलों को कभी पूरी तरह काटे बिना न छोड़ा, अपने मुँह से सिखाऊँ कि जाकर मुझे बुरा कहो! मगर यह केवल इसलिए था कि तुम अपने शरीर का ध्यान रक्खो और मुझे भूल जाओ।

मैजि़नी

सच्चाई यह थी कि मैजि़नी ने मैग्डलीन के प्रेम को रोज़-ब-रोज़ बढ़ते देखकर एक ख़ा़स हिकमत की थी। उसे ख़ूब मालूम था कि मैग्डलीन के प्रेमियों से कितने ही ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा सुन्दर, ज़्यादा दौलतमन्द और ज़्यादा अक़लवाले हैं, मगर वह किसी को ख़याल में नहीं लाती। मुझमें उसके लिए जो ख़ा़स आकर्षण है, वह मेरे कुछ ख़ा़स गुण हैं और अगर मेरे ऐसे मित्र, जिनका आदर मैग्डलीन भी करती है, उससे मेरी शिकायत करके इन गुणों का महत्व उसके दिल से मिटा दें तो वह खुद-ब-खुद मुझे भूल जाएगी। पहले तो उसके दोस्त इस काम के लिए तैयार न होते थे मगर इस डर से कि कहीं मैग्डलीन ने घुल-घुलकर जान दे दी तो मैजि़नी ज़िन्दगी भर हमें माफ़ न करेगा, उन्होंने यह अग्रिय काम स्वीकार कर लिया था। वह स्विटज़रलैण्ड गये और जहाँ तक उनकी ज़बान में ताक़त थी, अपने दोस्त की पीठ पीछे बुराई करने में खर्च की। मगर मैग्डलीन

मैजि़नी

पर मुहब्बत का रंग ऐसा गहरा चढ़ा हुआ था कि इन कोशिशों का इसके सिवाय और कोई नतीजा न हो सकता था जो हुआ। वह एक रोज़ बेक़रार होकर घर से निकल खड़ी हुई और रोम में आकर एक सराय में ठहर गयी। यहाँ उसका रोज़ का नियम था कि मैजि़नी के पीछे-पीछे उसकी निगाह से दूर घूमा करती मगर उसे आश्चस्त और अपनी सफलता से प्रसन्न देखकर उसे छेड़ने का साहस न करती थी। आख़ि़रकार जब फिर उस पर असफलताओं का वार हुआ और वह फिर दुनिया में बेकस और बेबस हो गया तो मैग्डलीन ने समझा, अब इसको किसी हमदर्द की ज़रूरत है। और पाठक देख चुके हैं जिस तहर वह मैजि़नी से मिली।

मैजि़नी

मैजि़नी रोम से फिर इंगलिस्तान पहुँचा और यहाँ एक अरसे तक रहा। सन् 1870 में उसे ख़बर मिली कि सिसली की रिआया बगावत पर आमादा है और उन्हें मैदाने जंग में लाने के लिए एक उभारने वाले की ज़रूरत है। बस वह फ़ौरन सिसली पहुँचा मगर उसके जाने के पहले शाही फ़ौज ने बाग़ियों को दबा दिया था। मैजि़नी जहाज़ से उतरते ही गिरफ्तार करके एक कैदखाने में डाल दिया गया। मगर चूँकि अब वह बहुत बुझा हो गया था, शाही हुक्काम ने इस डर से कि कहीं वह कैद की तकलीफों से मर जाय तो जनता को सन्देह होगा कि बादशाह की प्रेरणा से वह क़त्ल कर डाला गया, उसे रिहा कर दिया। निराश और टूटा हुआ दिल लिये मैजि़नी स्विटज़र्लैण्ड की तरफ़ रवाना हुआ। उसकी ज़िन्दगी की तमाम उम्मीदें ख़ा़क में मिल गयीं। इसमें शक नहीं कि इटली के एकताबद्ध हो

जाने के दिन बहुत पास आ गये थे मगर उसकी हुकूमत की हालत उससे हरिगज बेहतर न थी जैसी आस्ट्रिया या नेपल्स के शासन-काल में। अन्तर यह था कि पहले वह एक दूसरी क़ौम की ज़्यादातियों से परेशान थे, अब अपनी क़ौम के हाथों। इन निरन्तर असफलताओं ने दृढ़व्रती मैजि़नी के दिल में यह ख़याल पैदा किया कि शायद जनता की राजनीतिक शिक्षा इस हद तक नहीं हुई, कि वह अपने लिए एक प्रजातान्त्रिक शासन-व्यवस्था की बुनियाद डाल सके और इसी नियत से वह स्विट्ज़रलैण्ड जा रहा था कि वहाँ से एक ज़बर्दस्त क़ौमी अख़बार निकाले, क्योंकि इटली में उसे अपने विचारों को फैलाने की इजाज़त न थी। वह रात भर नाम बदलकर रोम में ठहरा। फिर वहाँ से अपनी जन्मभूमि जिनेवा में आया और अपनी नेक माँ की क़ब्र पर फूल चढ़ाये। इसके बाद स्विटज़लैण्ड की तरफ़ चला और साल भर तक कुछ विश्वसनीय मित्रों की सहायता से अख़बार निकालता रहा। मगर निरन्तर चिन्ता और कष्टों ने उसे बिलकुल कमज़ोर कर दिया था। सन् 1870 में वह सेहत के ख़याल से इंगलिस्तान आ रहा था कि आल्प्स पर्वत की तलहटी में निमोनिया की बीमारी ने उसके जीवन का अन्त कर दिया और वह एक अरमानों से भरा हुआ दिल लिये स्वर्ग को सिधारा। इटली का नाम मरते दम उसकी ज़बान पर था। यहाँ भी उसके बहुत से समर्थक और हमदर्द शरीक थे। उसका जनाज़ा बड़ी धूम से निकला। हज़ारों आदमी साथ थे और एक बड़ी सुहानी खुली हुई जगह पर पानी के एक साफ़ चश्मे के किनारे पर क़ौम के लिए मर मिटने वाले को सुला दिया गया।

मैजि़नी

मैजि़नी को क़ब्र में सोये हुए आज तीन दिन गुज़र गये। शाम का वक़्त था, सूरज की पीली किरणें इस ताज़ा क़ब्र पर हसरतभरी आँखों से ताक रही हैं। तभी एक अधेड़ ख़ूबसूरत औरत, सुहाग के जोड़े पहने, लडखड़ाती हुई आयी। यह मैग्डलीन थी। उसका चेहरा शोक में डूबा हुआ था, बिल्कुल मुझा़या हुआ, कि जैसे अब इस शरीर में जान बाक़ी नहीं रही। वह इस क़ब्र के सिरहाने बैठ गयी और अपने सीने पर खूँसे हुए फूल उस पर चढ़ाये, फिर घुटनों के बल बैठकर सच्चे दिल से दुआ करती रही। जब ख़ूब अँधेरा हो गया, बर्फ़ पडने लगी तो वह चुपके से उठी और ख़ामोश सर झुकाये क़रीब के एक गाँव में जाक़र रात बसर की और भोर की बेला अपने मकान की तरफ़ रवाना हुई।


मैग्डलीन अब अपने घर की मालिक थी। उसकी माँ बहुत ज़माना हुआ, मर चुकी थी। उसने मैजि़नी के नाम से एक आश्रम बनवाया और खुद आश्रम की ईसाई लेडियों के लिबास में वहाँ रहने लगी। मैजि़नी का नाम उसके लिए एक निहायत पुरदर्द और दिलकश गीत से कम न था। हमदर्दों और क़द्रदानों के लिए उसका घर उनका अपना घर था। मैजि़नी के ख़त उसकी इंजील और मैजि़नी का नाम उसका ईश्वर था। आस-पास के ग़रीब लडक़ों और मुफ़्लिस बीवियों के लिए यही बरकत से भरा हुआ नाम जीविका का साधन था। मैग्डलीन तीन बरस तक ज़िन्दा रही और जब मरी तो अपनी आख़ि़री वसीयत के मुताबिक उसी आश्रम में दफ़न की गयी।

मैजि़नी

उसका प्रेम मामूली प्रेम न था, एक पवित्र और निष्कलंक भाव था और वह हमको उन प्रेम-रस में डूबी हुई गोपियों की याद दिलाता है जो श्रीकृष्ण के प्रेम वृन्दावन की कुंजों और गलियों में मँडराया करती थीं, जो उससे मिले होने पर भी उससे अलग थीं और जिनके दिलों में प्रेम के सिवा और किसी चीज़ की जगह न थी। मैजि़नी का आश्रम आज तक कायम है और ग़रीब और साधु-सन्त अभी तक मैजि़नी का पवित्र नाम लेकर वहाँ हर तरह का सुख पाते हैं।

अध्यात्म

प्रभु की पगडि़ियां



एक फकीर के पास तीन युवक आए और उन्होंने कहा कि हम अपने को जानना चाहते हैं। उस फकीर ने कहा कि इसके पहले कि तुम अपने को जानने की यात्रा पर निकलो, एक छोटा सा काम कर लाओ। उसने एक-एक कबूतर उन तीनों युवकों को दे दिया और कहा, ऐसी जगह में जाकर कबूतर की गर्दन मरोड़ डालना जहां कोई देखने वाला न हो।

पहला युवक रास्ते पर गया--दोपहर थी, रास्ता सुनसान था, लोग अपने घरों में सोये थे--देखा कोई भी नहीं है, गर्दन मरोड़ कर, भीतर आकर गुरु के सामने रख दिया। कोई भी नहीं था, उसने कहा, रास्ता सुनसान है, लोग घरों में सोये हैं, किसी ने देखा नहीं, कोई देखने वाला नहीं था।

दूसरे युवक ने सोचा कि अगर रास्ते पर गर्दन मरोड़ूंगा, पता नहीं कोई बीच में निकल आए, कोई खिड़की से झांक ले। वह एक गली में गया। लेकिन अभी दिन था, उसने सोचा रात तक रुक जाऊं, पता नहीं कोई एकदम से गली में आ जाए, जहां मैं आ सका हूं वहां कोई दूसरा भी आ सकता है। उसने रात तक प्रतीक्षा की, जब अंधेरा हो गया तो उसने गर्दन मरोड़ी और गुरु के पास जाकर दे दिया।

लेकिन तीसरे युवक को पंद्रह दिन हो गए। वह अभी भी नहीं लौटा, अभी भी नहीं लौटा...। दोनों युवकों को खोजने भेजा। वे कहीं से उसे पकड़ कर लाए। वह बड़ी मुश्किल में था। वह अंधेरी रात में भी गया था। अंधेरी रात, गहरे से गहरे अंधेरे में भी बहुत कुछ था जो उसे देख रहा था। चांदतारे देख रहे थे। तो उसने सोचा कि नीचे एक तलधर में चला जाऊं। वह एक तलधर में गया। वहां चांदतारे तो न थे, लेकिन जब गहरे अंधेरे में जाकर उसने कबूतर की गर्दन पर हाथ रखा, तो कबूतर देख रहा था, उसकी दो आंखें चमक रही थीं। तो उसने फिर कबूतर की आंखें बांध दीं, ताकि कबूतर न देख सके। और जब वह उसकी गर्दन को मरोड़ रहा था, तब उसे खयाल आया--गहन अंधकार था, कोई भी न था, कबूतर की आंखें बंद थीं--लेकिन उसे खयाल आया कि मैं तो देख ही रहा हूं, और गुरु ने कहा था--कोई भी न देखता हो। तब वह मुश्किल में पड़ गया। और जब उसके साथी उसे पकड़ कर लाए तो उसने कबूतर वापस लौटा दिया। और उसने कहा, यह न हो सकेगा। क्योंकि मैं कितने ही अंधकार में चला जाऊं, कोई न देखे, कम से कम मैं तो देखूंगा! और आपने कहा था, जहां कोई भी न देखता हो। तो उस गुरु ने दो युवकों को तो विदा कर

दिया कि तुम जाओ, तुम बहुत गहरी खोज न कर सकोगे। तीसरे युवक को रोक लिया, क्योंकि एक बहुत गहरे अनुभव पर वह पहुंचा था--कि गहनतम अंधकार में भी मैं तो शेष रह ही जाता हूं देखने वाला।

समाधि का भी पहला चरण गहन अंधकार है। क्योंकि जब सब तरफ अंधेरा हो जाता है तो चेतना को बाहर जाने का उपाय नहीं रहता, चेतना अपने पर वापस लौट आती है। इसीलिए तो रात हम सोते हैं, अगर प्रकाश हो तो नींद में बाधा पड़ती है, क्योंकि चेतना को बाहर जाने के लिए मार्ग होता है। अंधकार हो तो चेतना अपने पर वापस लौट आती है। अंधकार में मार्ग नहीं है किसी और को देखने का, इसलिए अपने को ही देखने की एकमात्र शेष संभावना रह जाती है।

पर अंधकार के प्रति हमारा भय है। इसलिए हम अंधेरे में कभी भी नहीं जीते। अंधेरा हुआ कि हम फिर सो जाएंगे। उजाला हो तो हम जी सकते हैं। इसलिए पुरानी दुनिया सांझ होते सो जाती थी, क्योंकि उजाला न था। अब नई दुनिया के पास उजाला है कि वह रात को भी दिन बना ले, तो अब दो बजे तक दिन चलेगा। बहुत संभावना है कि धीरे-धीरे रात खतम ही हो जाए, क्योंकि हम प्रकाश पूरा कर लें। अंधेरे में फिर हमें सोने के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता, क्योंकि कहीं जाने का रास्ता नहीं रह जाता। लेकिन काश हम अंधेरे में जाग सकें, तो हम समाधि में प्रवेश कर सकते हैं।

तो पहले पांच मिनट हम गहन अंधकार में डूबेंगे। एक ही भाव रह जाए मन में कि अंधकार है, अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है। सब तरफ अंधकार घिर गया और हम उस अंधकार में डूब गए, डूब गए, डूब गए। पूर्ण अंधकार रह गया है और हम हैं, और अंधकार है। तो पांच मिनट पहले इस अंधकार के प्रयोग को करेंगे। फिर मैं दूसरा प्रयोग समझाऊंगा। फिर तीसरा। और अंत में तीनों को जोड़ कर फिर हम ध्यान के लिए, समाधि के लिए बैठेंगे।

तो सबसे पहले तो एक-दूसरे से थोड़ा-थोड़ा फासले पर हट जाएं। चिंता न करें बिछावन की, अगर नीचे भी बैठ जाएंगे तो उतना हर्ज नहीं है जितना कोई छूता हो। क्योंकि कोई छूता हो तो कोई मौजूद रह जाएगा, अंधेरा पूरा न हो जाएगा। तो बिलकुल कोई न छूता हो। और इसका भी खयाल न रखें कि दूसरा हट जाए। दूसरा कभी नहीं हटेगा; स्वयं को ही हटना पड़ेगा। तो हट जाएं, चाहे जमीन पर चले जाएं, चाहे पीछे हट जाएं। लेकिन कोई किसी को किसी भी हालत में छूता हुआ न हो। और इतने धीरे न हटें, जमीन पर बैठ

समाधि का भी पहला चरण

गहन अंधकार है। ज्योंकि

जब सब तरफ अंधेरा हो

जाता है तो चेतना को बाहर

जाने का उपाय नहीं रहता,

चेतना अपने पर वापस

लौट आती है। इसीलिए तो

रात हम सोते हैं, अगर

प्रकाश हो तो नींद में बाधा

पड़ती है, ज्योंकि चेतना को

बाहर जाने के लिए मार्ग

होता है। अंधकार हो तो

चेतना अपने पर वापस

लौट आती है। अंधकार में

मार्ग नहीं है किसी और

को देखने का, इसलिए

अपने को ही देखने की

एकमात्र शेष संभावना रह

जाती है। पर अंधकार के

प्रति हमारा भय है।

इसलिए हम अंधेरे में कभी

भी नहीं जीते। अंधेरा हुआ

कि हम फिर सो जाएंगे।

उजाला हो तो हम जी

सकते हैं। इसलिए पुरानी

दुनिया सांझ होते सो जाती

थी, ज्योंकि उजाला न था।

अब नई दुनिया के पास

उजाला है कि वह रात को

भी दिन बना ले, तो अब

दो बजे तक दिन चलेगा।

गए तो क्या हर्जा हुआ जाता है! बिलकुल सहजता से हट जाएं। एक भी व्यक्ति छूता हुआ न हो।

मैं मान लूं कि आप हट गए हैं, कोई किसी को नहीं छू रहा है। अगर अब भी कोई छू रहा हो तो उठ कर बाहर आ जाए और अलग बैठ जाए।

अब आंख बंद कर लें। आंख बंद कर लें। आंख बंद कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर ढीला छोड़ दिया है, आंख बंद कर ली है। और देखें भीतर, अनुभव करें--अंधकार, महा अंधकार है...विराट अंधकार फैल गया है...चारों तरफ सिवाय अंधकार के और कुछ भी नहीं। अंधकार है...अंधकार है...। बस एकदम अंधकार ही अंधकार है। जहां तक खयाल जाता है, अंधकार... अंधकार... अंधकार...। पांच मिनट के लिए इस अंधकार में डूबते जाएं। बस अंधकार ही शेष रह जाए। छोड़ दें अपने को अंधकार में। और पांच मिनट के अंधकार का अनुभव मन को बहुत शांत कर जाएगा। समाधि की पहली सीढ़ी खयाल में आ जाएगी। मृत्यु की भी पहली सीढ़ी खयाल में आ जाएगी।

अनुभव करें अंधकार का, बस अंधकार ही अंधकार है चारों ओर, सब तरफ मन को घेरे हुए अंधकार है, दूर-दूर तक घनघोर अंधकार है। कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, कुछ भी नहीं सूझता, हम हैं और अंधकार है। पांच मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूं। आप गहरे अंधकार को अनुभव करते हुए, करते हुए अंधकार में डूब जाएं...

बस अंधकार शेष रह गया है...अंधकार और अंधकार, महा अंधकार, सब अंधेरा हो गया है...कुछ भी नहीं सूझता, अंधकार है, जैसे अंधेरी रात ने चारों ओर से घेर लिया...मैं हूं और अंधकार है...

अंधकार ही अंधकार है...डूब जाएं...छोड़ दें...बिलकुल अंधेरे में डूब जाएं। अंधकार ही अंधकार शेष रह गया...अंधकार है, बस अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है...अनुभव करते-करते मन बिलकुल शांत हो जाएगा...अंधकार ही अंधकार है...अंधकार ही अंधकार है...मन शांत होता जा रहा है। मन बिलकुल शांत हो जाएगा। अंधकार ही अंधकार है...छोड़ दें अपने को, अंधकार में बिलकुल छोड़ दें...अंधकार ही अंधकार है...बस अंधकार ही अंधकार है...छोड़ दें अंधकार में, महान अंधकार चारों ओर रह गया। मैं हूं और अंधकार है। न कुछ दिखाई पड़ता, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, बस अंधकार ही अंधकार मालूम होता है...उठें नहीं, छोड़ दें, बिलकुल छोड़ दें। अंधकार ही अंधकार शेष रह गया है। और मन एकदम शांत हो जाएगा। अंधकार परम शांतिदायी है। मन का कण-कण शांत हो जाएगा। मस्तिष्क का कोना-कोना शांत हो जाएगा। अंधकार में डूब जाएं, अंधकार ही अंधकार है...अंधकार ही अंधकार है...अंधकार ही अंधकार है...मन बिलकुल शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया है...अंधकार ही अंधकार है...चारों ओर अंधकार है...मैं हूं और अंधकार है...कुछ भी नहीं सूझता, कोई और दिखाई नहीं पड़ता, अंधकार है...अंधकार है...। मन शांत हो गया है, मन बिलकुल शांत हो गया है...

अब धीरे-धीरे आंखें खोलें...बाहर भी बहुत शांति मालूम पड़ेगी। धीरे-धीरे आंखें खोलें...फिर दूसरा प्रयोग समझें, और उसे पांच मिनट के लिए करें। समाधि की पहली सीढ़ी है अंधकार का बोध। धीरे-धीरे आंख खोलें...बाहर भी बहुत शांति मालूम पड़ेगी। अब दूसरा चरण समझ लें। फिर पांच मिनट उसे हम करेंगे। जब कोई मरता है तो गहन अंधकार में चारों ओर से घिर जाता है। मृत्यु के पहले चरण पर अंधकार घेर लेता है। वह सारा जगत जो दिखाई पड़ता था, खो जाता है। वे सब प्रियजन, मित्र, अपने, पराये, वे जो चारों तरफ थे, सब खो जाते हैं और एक अंधकार का पर्दा चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन हम अंधकार से इतना डरते हैं कि

उस डर के कारण बेहोश हो जाते हैं। काश हम अंधकार को भी प्रेम कर पाएं, तो फिर मृत्यु में बेहोश होने की जरूरत न रह जाए। और समाधि में जिन्हें जाना है उन्हें अंधकार को प्रेम करना सीखना पड़े, अंधकार को आलिंगन करना सीखना पड़े, अंधकार में डूबने की तैयारी दिखानी पड़े। इसलिए पहले चरण में पांच मिनट अंधकार को अपने चारों ओर घिरा हमने देखा। अब दूसरी बात समझ लेनी चाहिए। मृत्यु का या समाधि का दूसरा चरण है--एकाकीपन का बोध, मैं अकेला हूं। मृत्यु के दूसरे चरण में अंधकार के घिरते ही पता चलता है कि मैं अकेला हूं। कोई भी मेरा नहीं, कोई भी संगी नहीं, कोई भी साथी नहीं। लेकिन जीवन भर हम इसी ढंग से जीते हैं कि लगता है--सब हैं मेरे--मित्र हैं, प्रियजन हैं, अपने हैं। अकेला हूं, इसका कभी खयाल भी नहीं आता। अगर खयाल आए भी तो जल्दी किसी को अपना बनाने निकल पड़ता हूं, ताकि अकेलेपन का खयाल न आए। बहुत कम लोग, बहुत कम क्षणों पर, अकेले होने का अनुभव कर पाते हैं। और जो मनुष्य अकेले होने का अनुभव नहीं कर पाता, वह अपना अनुभव भी नहीं कर पाएगा। जो व्यक्ति निरंतर ऐसा ही सोचता है कि दूसरों से जुड़ा हूं, दूसरों से जुड़ा हूं--दूसरे हैं, संगी हैं, साथी हैं--उसकी नजर कभी अपने पर नहीं जा पाती है।

मृत्यु का भी दूसरा अनुभव जो है वह अकेले का अनुभव है। इसलिए मृत्यु हमें बहुत डराती है। क्योंकि जिंदगी भर हम अकेले न थे, और मृत्यु अकेला कर देगी। असल में मृत्यु का डर नहीं है, डर है अकेले होने का।


अभी भी अकेले होकर हम डरते हैं। कोई साथ हो तो डर नहीं है। और मजा यह है कि दो आदमी साथ हैं, वे दोनों अकेले में डरते हैं, दोनों मिल जाएंगे तो डर दुगुना होगा कि आधा होगा? दो आदमी, दोनों अकेले में डरते हैं, लेकिन दोनों मिल कर सोचते हैं कि दूसरा है, डर नहीं है। दूसरा भी सोचता है--दूसरा है, डर नहीं है।

डर सिर्फ दुगुना हो गया है। लेकिन एक-दूसरे के साथ हम सोच लेते हैं। आदमी अंधेरी गली में से निकलता है तो डरता है, तो जोर से गीत गाने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है। अपनी ही आवाज सुन कर भी ऐसा लगता है कोई है। अकेले का भय है। लेकिन जो अकेले होने को राजी नहीं, टोटलीअलोन, वह समाधि में नहीं जा सकता। क्योंकि समाधि में कौन साथ देगा? पत्नी कैसे समाधि में साथ देगी? बेटा कैसे साथ जाएगा?पति कैसे साथ जाएगा? गुरु कैसे साथ जाएगा? दोस्त कैसे साथ जाएगा? समाधि में तो कोई भी नहीं जाएगा। समाधि में तो बिलकुल अकेले जाना होगा।

इसलिए जो जितना एक्सट्रोवर्ट है, जो अपने से बाहर के लोगों से जितना जोड़ रखता है अपने को, कभी अकेला नहीं होता, वह आदमी समाधि में पहुंचने में उतनी ही मुश्किल अनुभव करता है। अगर कभी हम अकेले छूट भी जाएं सौभाग्य से, तो जल्दी से अपने को भर लेते हैं। रेडियो खोल लेंगे, अखबार पढ़ने लगेंगे--कुछ न कुछ करने लगेंगे--सिगरेट पीने लगेंगे। ये सिर्फ अकेलेपन से बचने के उपाय हैं। यहां तक कि लोग अकेले हैं, बैठ कर ताश खेलने लगेंगे, अकेला ही आदमी दोनों तरफ से बाजियां चलने लगेगा, दूसरे को कल्पित कर लेगा कि कोई है। अकेले होने से हम इतने भयभीत हैं, तो फिर हम समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और अकेले होने का सौंदर्य अदभुत है। मेरा मतलब यह नहीं है कि कोई समाज से भाग जाए। समाज से जो लोग भाग जाते हैं, वे भी अकेले नहीं हैं। क्योंकि जिसे वे छोड़ कर भागते हैं, वह उनके मन में साथ चला जाता है। वे जंगल-पहाड़ पर बैठ कर आपकी ही याद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपको वे भूल सकते, तो यहीं भूल सकते थे जंगल-पहाड़ जाने की कोई भी जरूरत न थी।

सिनेमा

गीतकारों के लिए गुलजार सदाबहार, समकालीन और संवेदनशील



मुनीर ने इस बात पर बल देने के लिए ‘बंटी और बबली’ फिल्म के गीत ‘कजरारे’ की पंक्तियां ‘आंखे भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं’ का हवाला दिया कि कैसे गुलजार मुहावरों को बदलकर गाने में ‘किरदार, वर्ग और मर्यादा’ ले आते हैं और ‘तथाकथित बॉलीवुड आइटम नंबर’ को सामाजिक बदलाव के रूप में सामने ला देते हैं।

86 साल के हो गये गीतकार-लेखक-फिल्मकार गुलजार साधारण बातों को जादू में तब्दील कर देने की अपनी योग्यता से समकालीन और विभिन्न पीढ़ियों में प्रासंगिक बने हुए हैं। गीतकारों का ऐसा मानना है। गुलजार सात दशक के करियर के दौरान अपनी नज्मों, गजलों, गीतों और फिल्मों से देश की सांस्कृतिक चेतना का हिस्सा बने हुए हैं। पाकिस्तान के डीना में पैदा हुए गुलजार ने 1963 में बिमल राय की ‘बेदिनी’ से गीतकार के रूप में अपना सफर प्रारंभ किया था। उनका मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है।

गीतकारों--स्वानंद किरकिरे और कौसर मुनीर के अनुसार, गुलजार में अपनी कविताओं, गानों या ‘आंधी’, ‘अंगूर’, ‘मौसम’ और ‘इजाजत’ जैसी फिल्मों के माध्यम से समय के साथ चलने की क्षमता है। गीतकार-गायक-अभिनेता किरकिरे ने कहा, “वह नायक, प्रेरणा और शिक्षक हैं। व्यक्ति हमेशा गुलजार साहब की तरह बनना चाहता है मेरा भी उनके गानों से ही हिंदी फिल्म संगीत से परिचय हुआ। जब भी मैं उनके गीत सुनता था मैं महसूस करता था कि उनकी

बिल्कुल अलग आवाज है। वह बिना किसी भारी काव्यात्मकता के, चीजों को आधुनिक रोजमर्रा शैली में कह देते हैं।” गीतकार कौसर मुनीर ने कहा, “सभी को पता है कि पानी गीला होता है। लेकिन जब आप ‘गीला गीला पानी’ जैसा कुछ कहते हैं तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए इसका मतलब कुछ खास होता है क्योंकि गद्य तब पद्य का रूप ले लेता है। इजाजत के गानों पर आज भी वे लोग खुशी मनाते हैं जो काव्य सोच वाले नहीं हैं क्योंकि यह फिल्म साधारण बात को कुछ जादुई रूप में पेश करती है।”


मुनीर ने इस बात पर बल देने के लिए ‘बंटी और बबली’ फिल्म के गीत ‘कजरारे’ की पंक्तियां ‘आंखे भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं’ का हवाला दिया कि कैसे गुलजार मुहावरों को बदलकर गाने में ‘किरदार, वर्ग और मर्यादा’ ले आते हैं और ‘तथाकथित बॉलीवुड आइटम नंबर’ को सामाजिक बदलाव के रूप में सामने ला देते हैं। गुलजार की बेटी मेघना गुलजार, क्रिकेटर युवराज ने भी उन्हें बधाई देने के लिए उनकी पंक्तियों को याद किया।

कु शोभा

स्वास्थ्य

हृदय रोग में एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी, कौन सा है बेहतर विकल्प?

बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जबकि एंजियोप्लास्टी में सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। एंजियोप्लास्टी में संक्रमण का खतरा और दर्द कम होता इसलिए यह एक प्रचलित तरीका है। लेकिन गंभीर मामलों में उपचार के लिए हार्ट की बाईपास सर्जरी जरूरी हो सकती है।



आजकल की भाग-दौड़ और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण लोगों में बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। आज के समय में दिल से जुड़ी बीमारियां तेज गति से बढ़ रही हैं। जिनमें बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक आदि शामिल हैं। केवल बूढ़े ही नहीं कम उम्र के लोग भी दिल की बीमारी शिकार हो रहे हैं। जहां कुछ मामलों में नियमित दवा और जीवनशैली में बदलाव कर इन बीमारियों पर नियंत्रण किया जा सकता है, वहीं कई बार स्थिति खराब हो जाने पर

सर्जरी का सहारा लेना पड़ सकता है। कई बार दिल से जुड़ी बीमारी में इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी या बाई पास सर्जरी करवानी पड़ती है। कोरोनरी आर्टिरीज डिजीज में हार्ट की रक्तधमनियों में मिनरल्स प्लैक के रूप में जमा होने या ब्लड क्लॉट बनने से उनमें ब्लॉकेज हो जाती है जिससे रक्तप्रवाह ठीक से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में एंजियोप्लास्टी के जरिए हार्ट की रक्तधमनियों को चौड़ा कर उनमें रक्तप्रवाह को ठीक किया जाता है। जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो और

एंजियोप्लास्टी से भी ब्लॉकेज को ठीक ना किया जा सकता हो तब बाईपास सर्जरी की सलाह दी जाती है। हालांकि, अब यह दोनों प्रक्रियाएं आम व सरल हो गई हैं लेकिन फिर भी लोगों के मन में इससे जुड़े कई सवाल होते हैं। अधिकतर लोगों के मन में सवाल होता है कि बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी में क्या अंतर है और दोनों में से कौन सी प्रक्रिया ज्यादा बेहतर है? आज के इस लेख में हम आपको ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब देंगे-

एंजियोप्लास्टी क्या होती है?

जब हार्ट में प्लैक या क्लॉट (खून का थक्का) बन जाता है तो इससे रक्तधमनियां संकरी हो जाती है जिसके कारण ब्लड प्रेशर रुक जाता है। जब ऐसा होता है तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाता है और वह ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। इसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, जिसके कारण सीने में दर्द या हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचाव के लिए हार्ट की एंजियोप्लास्टी कर रोगी का उपचार किया जाता है। इसे पीटीसीए (परकुटेनियस ट्रांसलुमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी) या बैलून एंजियोप्लास्टी भी कहते हैं।

कैसे की जाती है एंजियोप्लास्टी?

एंजियोप्लास्टी की प्रक्रिया में रक्तधमनी में कैथेटर डालकर कैथेटर के आखिर में लगे बैलून का उपयोग कर रक्तधमनी को खोला जाता है। रक्तधमनी के ब्लॉकेज वाले हिस्से पर स्टेंट को एक बैलून कैथेटर पर लगाया जाता है। उचित प्रेशर लगाकर रक्तधमनी खोलने के बाद बैलून कैथेटर और तारों को हटा लिया जाता है। स्टेंट रक्त धमनी के भीतर ही आकर ले लेता है और उस जगह को चौड़ा कर देता है।

हार्ट बाईपास सर्जरी क्या होती है?

हार्ट में पूरी या आंशिक रूप से ब्लॉक रक्तधमनी के एक सेक्शन के आसपास ब्लड सर्कुलेशन दोबारा शुरू करने के लिए बाईपास सर्जरी की जाती है। हार्ट बाईपास सर्जरी या कोरोनरी बाईपास ग्राफ्ट (सीएबीजी) एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में मरीज की छाती, हाथ या पैर से एक स्वस्थ धमनी लेकर उसे ब्लॉक धमनी की जगह पर जोड़ दिया जाता है। हार्ट बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया हार्ट में ब्लड प्रेशर की रुकावट दूर करने, छाती में दर्द और सांस लेने में तकलीफ जैसी कई दिक्कों को कम या दूर करने के लिए की जाती है।

हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद क्या होता है

बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। बाईपास सर्जरी करने के बाद रोगी को कुछ दिनों के लिए आईसीयू में रखा जाता है। इस दौरान नियमित रूप से रोगी के ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट और ऑक्सीजन लेवल पर नजर रखी जाती है। जब रोगी स्थिर हो जाता है तो उसे वार्ड में भेज दिया जाता है। कोरोनरी बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया में रोगी के मुंह में एक ट्यूब लगी होती है। बाईपास सर्जरी के बाद रोगी को खांसी या गहरी सांस लेने के दौरान उस जगह दर्द हो सकता है, जहां चीरा लगा था। जब सर्जरी के बाद रोगी स्थिर हो जाए और उसे कोई अन्य परेशानियां ना हों तो उसे 4 से 5 दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है।

हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद मरीज की रिकवरी में कितना समय लगता है

हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद रोगी को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 6 से 12 हफ्ते का समय लगता है। सर्जरी के बाद डॉक्टर चिरों और घावों की देखभाल करने के निर्देश देते हैं जिससे रोगी की जल्दी रिकवरी हो सके। सर्जरी के बाद रोगी को पूरी तरह से आराम करने, अधिक मेहनत वाला काम ना करने और वजन उठाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर सर्जरी के बाद दर्द कम करने के लिए कुछ

दवाएं भी देते हैं। बाईपास सर्जरी के बाद रिकवरी प्रोसेस की निगरानी के लिए डॉक्टर कार्डिएक रीहैबिलिटेशन की सलाह भी दे सकते हैं। कार्डिएक रीहैबिलिटेशन के दौरान डॉक्टर रोगी की शारीरिक गतिविधियों पर नजर रखते हैं और हार्ट की हालत के मुताबिक स्ट्रेस जांच भी कर सकते हैं।

दोनों में से क्या है बेहतर विकल्प?

कोरोनरी आर्टिरीज डिजीज या दिल की बीमारी होने पर रोगी के दिल की स्थिति को देखते हुए एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी में से किसी की सलाह दी जा सकती है। जिन रोगियों में दवा से ब्लॉकेज ठीक नहीं की जा सकती है उन्हें एंजियोप्लास्टी करवाने की सलाह दी जाती है। वहीं, अगर स्थिति ज्यादा गंभीर हो और एंजियोप्लास्टी से ब्लॉकेज को ठीक नहीं किया जा सकता हो तो बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है।

एंजियोप्लास्टी और बायपास सर्जरी में अंतर-

◆ बाईपास सर्जरी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जबकि एंजियोप्लास्टी में सर्जरी करने की आवश्यकता नहीं होती है।

◆ एंजियोप्लास्टी में संक्रमण का खतरा और दर्द कम होता इसलिए यह एक प्रचलित तरीका है। लेकिन गंभीर मामलों में उपचार के लिए हार्ट की बाईपास सर्जरी जरूरी हो सकती है।

◆ बाईपास सर्जरी के मुकाबले एंजियोप्लास्टी में अस्पताल में कम रुकना पड़ता है और इसमें रिकवरी ज्यादा तेज होती है।

◆ एंजियोप्लास्टी में लोकल एनिस्थेसिया देकर सर्जरी की जाती है जबकि बाईपास सर्जरी में रोगी को सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक आईसीयू में रखा जाता है।

◆ बाईपास सर्जरी के मुकाबले एंजियोप्लास्टी में कम खर्चा होता है।

एंजियोप्लास्टी या बाईपाससर्जरी के बाद ध्यान देने वाली बातें-

- अपने खानपान का खास ध्यान रखें। पौष्टिक आहार लें और ज्यादा तेल-मसाले और तले-भुने खाने से परहेज करें।

- स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं और नियमित रूप से दवा लें। कोई भी परेशानी होने पर डॉक्टर की सलाह लें।

- अपने वजन को नियंत्रित रखें और नियमित रूप से व्यायाम करें। डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्यायाम करें।

- अपने ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर के स्तर को नियंत्रण में रखें।

- ज्यादा तनाव या चिंता करने से बचें।

- नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहें और डॉक्टर के संपर्क में रहें।

एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के बाद क्या ना करें-

- धूम्रपान या शराब का सेवन ना करें।

- अधिक वजन ना उठाएं।

- अधिक मेहनत वाले काम करने से परहेज करें।

कांग्रेस के नये अध्यक्ष को चुनने के लिए कोई जल्दबाजी न हो -सलमान खुरीद

नई दिल्ली-कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुरीद ने कहा कि कांग्रेस के नये अध्यक्ष को चुनने के लिये कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए और इसके बिना आसमान नहीं टूट पड़ेगा क्योंकि सोनिया गांधी अभी शीर्ष पर मौजूद हैं और नेतृत्व के मुद्दे पर निर्णय लेने का फैसला उन पर ही छोड़ देना चाहिए।

गांधी परिवार के करीबी समझे जाने वाले नेताओं में शामिल और पूर्व केन्द्रीय मंत्री खुरीद ने पीटीआई-भाषा को दिये साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस के सामूहिक नेतृत्व और पूर्णकालिक एवं सगिय अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले 23 नेताओं के समूह ने यदि उनसे संपर्क किया होता तो भी उन्होंने इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख के पद पर लंबे समय तक रहने वाली सोनिया गांधी नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ फैसला ले सकती हैं। संगठन में व्यापक बदलाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया को पत्र लिखने वाले नेताओं में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद भी शामिल थे।



खुरीद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता आजाद भी तो कई वर्षों से पार्टी के शीर्ष पदों पर रहे हैं तब भी जब इस तरह के चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि शायद आजाद पार्टी में एक बदलाव चाहते हैं और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि जो वह कह रहे हैं नेतृत्व इस पर विचार करेगा क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता हैं।

खुरीद ने कहा कि जिन नेताओं ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा है, उनकी हमेशा उन (सोनिया) तक पहुंच थी और वे पत्र लिखने के बजाय

उनसे संपर्क कर सकते थे। उन्होंने कहा, यह बहुत स्पष्ट है कि इस पत्र में शामिल महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं से करीब से जुड़े हैं और इसलिए सोनिया गांधी ने संकेत दिया है कि यह सबसे बेहतर था कि वे पार्टी की सीमाओं के भीतर इस पर चर्चा करते। संगठन में व्यापक बदलाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 नेताओं के समूह द्वारा पत्र लिखे जाने के बाद खुरीद के इस बयान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पत्र में दिये गये सुझावों पर खुरीद ने कहा कि चर्चा एक नेता के चुनाव के बारे में लगती है और कांग्रेस अध्यक्ष ने संकेत दिया है कि ऐसा उचित समय पर किया जा सकता है जब भौतिक रूप से यह संभव हो। उन्होंने कहा, मेरे जैसे लोगों के लिए, हमारे पास पहले से ही नेता हैं, सोनिया गांधी हमारी एक नेता हैं, राहुल गांधी हमारे एक नेता हैं। इसलिए मेरे लिए नेताओं के चुनाव के बारे में कोई जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष का चुनाव, हां यह जब होगा तब होगा, इसके बिना आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारे पास अंशकालिक अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास एक पूर्णकालिक अध्यक्ष है लेकिन पूर्णकालिक अध्यक्ष एक अंतरिम अध्यक्ष है और अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं है क्योंकि वह सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली अध्यक्ष हैं।

हमें सिर्फ भरोसा करना चाहिए और नये अध्यक्ष के बारे में प्रीया शुरू करने का जिम्मा उन (सोनिया) पर छोड़ देना चाहिए।

प्रशांत भूषण पर उनके दो ट्वीट पर दर्ज अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली- एडवोकेट प्रशांत भूषण के दो ट्वीट्स के लिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए अवमानना मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन्हें एक रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। भूषण को यह जुर्माना 15 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के पास जमा करना होगा। जमा करने में चूक होने पर भूषण को तीन महीने के कारावास से गुजरना होगा और तीन महीने के लिए उन्हें लां प्रेक्टिस से विमुक्त कर दिया जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने सजा के आदेश के ऑपरेटिव भागों को पढ़ते हुए देखा कि न्यायाधीशों द्वारा प्रेस को दिए गए बयान वाक्य के विचार के लिए अप्रासंगिक हैं, क्योंकि न्यायाधीशों को प्रेस में जाने की अनुमति नहीं है। अदालत ने भूषण को बेंच द्वारा विचार किए जाने से पहले मीडिया में उनके बयानों को सार्वजनिक करने पर नाखुशी जताई। पीठ ने कहा, 'इस मामले में भी, हमने न केवल एक अवसर दिया, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, विचार व्यक्त करने के लिए खेद व्यक्त करने के लिए मौका दिया। इस अवमानना करने वाले ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपने बयानों को व्यापक प्रचार दिया, जिससे कोर्ट में और मतभेद हुए।' पीठ ने यह भी कहा कि उसने अटॉर्नी जनरल द्वारा दी गई 'समझदार सलाह' को ध्यान में रखा है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 25 अगस्त को भूषण के दो ट्वीट्स पर अवमानना ? मामले में सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मिश्रा ने आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था-हमें बताएं कि 'माफी' शब्द का उपयोग करने में क्या गलत है? माफी मांगने में क्या गलत है? क्या दोषी का प्रतिबिंब होगा? माफी एक जादुई शब्द है, जो कई चीजों को ठीक कर सकता है। मैं प्रशांत के बारे में नहीं बल्कि सामान्य तौर पर बात कर रहा हूँ। यदि आप माफी मांगते हैं तो आप महात्मा गंगी की श्रेणी में आ जाएंगे। गांधीजी ऐसा करते थे। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो आपको मरहम लगाना चाहिए। सुनवाई के दौरान, भूषण के ट्वीट को सही ठहराने के लिए उनके द्वारा जारी एक पूरक बयान पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने निराशा व्यक्त की थी। भूषण के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने प्रस्तुत किया था कि वह अदालत की दया नहीं चाहते और 'न्यायिक राज्यसत्ता' की मांग कर रहे थे। धवन ने यह भी कहा कि भूषण को दंडित करना उन्हें 'शहीद' बना देगा। भारत के अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने पीठ से अनुरोध किया था कि वह भूषण को दंडित न करें और चेतावनी के बाद उन्हें छोड़ दें।

अपने पिता लालू यादव से मिलने गए थे तेजप्रताप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर



पटना -बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजप्रताप यादव के खिलाफ कोविड-19 महामारी के दौरान झारखंड सरकार के आदेशों का उल्लंघन करने के लिए रांची पुलिस ने एक प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी रांची के सर्कल ऑफिसर (सीओ) प्रकाश कुमार की शिकायत पर दर्ज की गई है। कुमार ने

चुटिया पुलिस स्टेशन को एक लिखित शिकायत में कहा, रांची जिला प्रशासन के पुलिस और अधिकारियों द्वारा एक होटल के कमरा नंबर 507 का निरीक्षण किया गया। यह पाया गया कि लालू यादव के बेटे तेजप्रताप यादव राज्य सरकार की बिना किसी अनुमति के वहां रहे। तेजप्रताप 14-दिवसीय होम क्वारंटीन के प्रोटोकॉल का पालन किए बिना अपने गृह राज्य बिहार वापस आ गए। सीओ की शिकायत के आधार पर, चुटिया पुलिस स्टेशन ने तेज प्रताप के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत एफआईआर दर्ज की। मामले की जांच के

लिए एक जांच अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इससे पहले, तेज प्रताप को एक कमरा देने के लिए रांची में होटल बुक किया गया था। पुलिस के अनुसार, होटल कैपिटल रेजीडेंसी के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरकारी आदेश के अनुसार, अनलॉक 3.0 के दौरान झारखंड में होटल, धार्मिक स्थानों और जिमों को संचालित करने की अनुमति नहीं है।

पुलिस ने कहा कि तेजप्रताप यादव अपने पिता से मिलने यहां पहुंचे। वह रांची में होटल कैपिटल रेजीडेंसी में रहे। लालू यादव से उनकी मुलाकात करीब ढाई घंटे तक चली। रांची जिला प्रशासन और पुलिस ने होटल पर छापा मारा और तेजप्रताप के वहां रहने के सबूत मिले। भाजपा ने तेजप्रताप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और मानदंडों का उल्लंघन करते हुए लालू यादव के साथ बैठक की अनुमति देने पर राज्य सरकार को घेरा है। भाजपा नेता रबी भट्ट ने कहा कि तेजप्रताप के खिलाफ कोरोनावायरस के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। वह एक बड़े काफिले के साथ आए और रिम्स में मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन गए।

अक्टूबर में होगी। आपको बता दें कि 'शिवभोजन' थाली शिव सेना की महत्वकांक्षी योजना है, पिछले महीने ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन उद्भव ठाकरे ने शुरू किया था। यह योजना राज्य सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों को रियायती दर पर मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने सिद्धिविनायक ट्रस्ट से महाराष्ट्र सरकार को पैसे देने पर रोक लगाने से किया इनकार

मुंबई-बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट को राहत देते हुए उनके द्वारा कोरोना की लड़ाई और शिव भोजन थाली के लिए दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। जिसमें ट्रस्ट द्वारा सरकार को 10 करोड़ रुपये के हस्तांतरण को चुनौती दी गई है।

हाईकोर्ट में लीला रंगा नाम के शख्स ने एक याचिका दायर कर कहा था कि ट्रस्ट के कामकाज को नियंत्रित करने वाले श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत फंड का ट्रांसफर अवैध है। याचिका में कहा गया है कि, सरकार ने मंदिर ट्रस्ट समिति को पांच-पांच करोड़ रुपये

राज्य की 'शिव भोजन' योजना और कोविड-19 से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करने के लिए कहा गया था। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डरे की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि कोई भी मंदिर ट्रस्ट की ओर से पेश नहीं हुआ है। इसलिए अदालत इस मामले में कोई फैसला नहीं दे सकती है। अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि बाद में धन से संबंधित कोई अनियमितता पाई गई, तो वह सरकार को राशि वापस करने का निर्देश देगी।

पीठ ने राज्य सरकार और ट्रस्ट को चार सप्ताह के भीतर रंगा की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को अपने जवाबों को फिर से दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया और मामले की अगली सुनवाई

राहुल गांधी ने 'मन की बात' पर कसा तंज

नई दिल्ली-कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे का समाधान चाहते थे, लेकिन उन्होंने खिलौने पर चर्चा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में नीट और जेईई की परीक्षाओं के मुद्दे का समाधान चाहते थे, लेकिन उन्होंने खिलौने पर चर्चा की। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने 'मन की बात' संबोधन में कहा कि देश के पास खिलौना उद्योग का केंद्र बनने की प्रतिभा और क्षमता है। साथ ही, उन्होंने स्टार्ट-अप एवं नए उद्यमियों से खिलौना उद्योग से बड़े पैमाने पर जुड़ने की अपील की। इसके बाद, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष की यह टिप्पणी आई। "मन की नहीं छात्रों की बात" हैशटैग के साथ राहुल ने ट्वीट किया, "जेईई-नीट के अस्थीर्थी प्रधानमंत्री से परीक्षा पर चर्चा

की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने खिलौने पर चर्चा की।" राहुल और उनकी पार्टी (कांग्रेस) ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नीट और जेईई की परीक्षाएं टालने की बड़ी संख्या में छात्रों की मांग का समर्थन किया है। ये परीक्षाएं एक सितंबर से शुरू हो रही हैं।

छह राज्यों की सरकारों ने अपने मंत्रियों के जरिये उच्चतम न्यायालय का रुख कर एक पुनर्विचार याचिका दायर की है और इन परीक्षाओं को टालने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप एवं नए उद्यमियों से खिलौना उद्योग से बड़े पैमाने पर जुड़ने के साथ-साथ भारत में और भारत के "कंप्यूटर गेम्स" बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में इन क्षेत्रों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपने रेडियो कार्यक्रम में चर्चा की।

अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित

हिंदी सिनेमा के लीजेंड एक्टर दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान का निधन हो गया है। उन्होंने आज सुबह दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें मधुमेह, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी थी और वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आए थे। असलम खान की उम्र करीब 90 साल थी। पिछले कुछ दिनों से वह मुंबई के लीलावती अस्पताल भर्ती थे। असलम खान के निधन की खबर से परिवार को गहरा सदमा लगा है। असलम खान के भाई एहसान खान के साथ लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। वे भी कोरोना संक्रमित हैं। एहसान खान की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसान खान और असलम खान दोनों का कोविड-19 टेस्ट हाल ही में पॉजिटिव आया था। इसी के बाद ही उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। असलम और एहसान खान दोनों को ही सांस फूलने की शिकायत की थी।